



# संग्रह और वसूली नीति

## परिचय

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जिसे आगे "एसएसएफबी" कहा जाएगा) की संग्रह और वसूली नीति का उद्देश्य वसूली प्रक्रिया को मजबूत बनाना होगा, ताकि सकल एनपीए स्तर और अतिदेय को एसएसएफबी की जोखिम क्षमता के भीतर बनाए रखा जा सके।

## उद्देश्य एवं सिद्धांत

अग्रिमों की गुणवत्ता और प्रदर्शन का बैंक की लाभप्रदता पर सीधा असर पड़ता है। एक कुशल ऋण मूल्यांकन, संवितरण और निगरानी तंत्र के बावजूद, विभिन्न कारणों के कारण समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं और अतिदेय और/या गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की गुंजाइश पैदा कर सकती हैं। ये कारक आंतरिक या बाहरी हो सकते हैं।

## मुख्य उद्देश्य

- सुधार के लिए प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता चलने पर ऋण समीक्षा तंत्र को सक्रिय किया जाएगा।
- नीति में पुनर्वास और समझौता समझौतों आदि के माध्यम से ऋणों के संग्रह, वसूली और समाधान की दिशा में विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण मापदंडों सहित एक व्यापक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है।
- गैर-निष्पादन स्थिति में गिरावट को कम करने के लिए खातों की स्थिति की निरंतर निगरानी करना।
- न्यूनतम लागत पर और कम से कम समय में क्षतिग्रस्त अग्रिमों की अधिकतम संभव राशि की वसूली करना।

## समय

- सभी मापदंडों का पालन करने के अधीन जहां भी गतिविधि चल रही है, खातों को अपग्रेड करना।
- नीति में विवेकपूर्ण राइट-ऑफ के माध्यम से एनपीए पोर्टफोलियो को साफ करने के लिए एक दृष्टिकोण का भी प्रस्ताव है।
- उन खातों के खिलाफ प्रावधानों को बढ़ाना, जिनकी वसूली करना मुश्किल है या जहां वसूली होने की संभावना है।
- वसूली में देरी

## सिद्धांतों की मार्गदर्शक

- एसएसएफबी की वसूली प्रक्रिया अच्छे व्यवहार, निष्पक्ष व्यवहार और अनुनय पर आधारित होगी।
- एसएसएफबी अपने डिफॉल्टर्स के साथ सम्मान और गरिमा के साथ पेश आएगा।
- एसएसएफबी ग्राहकों के अलावा अन्य लोगों से केवल उधारकर्ता का पता लगाने या ऋण लेने के लिए संपर्क करेगा।
- अतिदेय राशि की वसूली हेतु सहायता/मार्गदर्शन
- एसएसएफबी के प्रतिनिधि उधारकर्ताओं को धमकी या आपत्तिजनक व्यवहार से परेशान या दुर्व्यवहार नहीं करेंगे
- /भाषा
- एसएसएफबी केवल नैतिक प्रथाओं का पालन करेगा और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अनुचित दबावपूर्ण रणनीति का सहारा नहीं लेगा।
- एनपीए की वसूली
- SSFB के प्रतिनिधि पुनर्भुगतान एकत्र करने के उद्देश्य से झूठे, भ्रामक या गुमराह करने वाले दावे नहीं करेंगे। इसमें अपनी पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या ऋण की स्थिति या गैर-भुगतान के परिणामों के बारे में गलत तथ्य बताना या ग्राहक का पता लगाने के बाद किसी भी मौद्रिक या गैर-मौद्रिक पुरस्कार का दावा करना शामिल है।
- SSFB उधारकर्ता को लिखित में उचित नोटिस दिए बिना प्रतिभूति के पुनर्ग्रहण सहित कोई भी कानूनी या वसूली उपाय शुरू नहीं करेगा।
- SSFB प्रतिभूति की वसूली/पुनर्ग्रहण के लिए कानून के तहत आवश्यक सभी प्रक्रियाओं का पालन करेगा।
- प्रतिभूति के पुनर्ग्रहण का उद्देश्य बकाया की वसूली करना है न कि उधारकर्ता को प्रतिभूति से वंचित करना।

- प्रतिभूति का पुनः कब्जा, मूल्यांकन और प्राप्ति निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी

नीति समीक्षा और अनुमोदन प्रक्रिया

नीति की समीक्षा की जाएगी और उसे निम्नलिखित प्रक्रिया के आधार पर अद्यतन किया जाएगा। बोर्ड और प्रबंधन समितियों की बैठक के कार्यवृत्त का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

वस्तु	पहली समीक्षा	दूसरी समीक्षा अनुमोदन		आवृत्ति
नियमित नीति समीक्षा	सिर - रिकवरी	कार्यकारिणी समिति	इसका बोर्ड निदेशक	वार्षिक
विनियामक और अन्य अद्यतन	सिर - रिकवरी & प्रमुख - क्रेडिट	कार्यकारिणी समिति	इसका बोर्ड निदेशक	जब भी आवश्यकता हो

## मुख्य परिभाषाएँ

गलती करना

डिफॉल्ट तब माना जाता है जब किसी परिसंपत्ति को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ('एनपीए') के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ

पट्टे पर दी गई संपत्ति सहित कोई भी संपत्ति तब गैर-निष्पादित संपत्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। "गैर-निष्पादित संपत्ति" (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है जहाँ:

ऋण सुविधा	एनपीए मानदंड
सावधि ऋण	ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है। दिन
ओवरड्राफ्ट/नकद क्रेडिट सीमा	खाता 90 दिनों से अधिक अवधि तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है
कृषि ऋण	क. लघु अवधि फसलें (एक वर्ष से कम अवधि वाली फसलें): मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों से बकाया है ख. लंबी अवधि की फसलें (एक वर्ष से अधिक की फसल अवधि वाली फसलें): एक फसल मौसम के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त बकाया रह जाना
प्रतिभूतिकरण लेन-देन	प्रतिभूतिकरण पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर किए गए लेनदेन पर लागू तरलता सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
अन्य	प्राप्त की जाने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक अवधि तक बकाया रहती है।

'आउट ऑफ ऑर्डर' स्थिति<sup>2</sup>:

किसी खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाना चाहिए यदि:

- बकाया राशि लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक रहती है। • ऐसे मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा से कम है।

सीमा/आहरण शक्ति के पार, खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाएगा, यदि: □ लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट नहीं है, या □

यदि क्रेडिट उसी अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है

'अतिदेय'<sup>3</sup>


किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' कहलाती है, यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि पर नहीं किया जाता है।

संग्रह और वसूली - शासन ढांचा

संगठन वास्तुकला4

संगठन की संग्रह और वसूली की जिम्मेदारियां कई टीमों के बीच विभाजित हैं, जिनकी अलग-अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं और उनकी रिपोर्टिंग लाइनें भी अलग-अलग हैं (लेकिन अंततः रिपोर्टिंग

संग्रह और वसूली प्रमुख) जो नीचे दिखाए गए विभाग आर्किटेक्चर में रेखांकित हैं:



1. नारंगी और नीले रंग के बॉक्स HO स्तर पर केंद्रीय स्थिति हैं, जबकि हरे रंग के बॉक्स फ़िल्ड स्थिति हैं क्लस्टर स्तर पर.
2. फ़िल्ड टीमों में क्लस्टर स्तर पर प्रभारी (क्लस्टर संग्रह/वसूली प्रबंधक) शामिल होंगे, जिन्हें समर्थन प्राप्त होगा क्षेत्र अधिकारियों (संग्रह/वसूली अधिकारियों) द्वारा।
3. एक अलग कॉल सेंटर टीम होगी जो संग्रह और वसूली करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को कॉल करने के उद्देश्य से संग्रह और वसूली टीमों का समर्थन करेगी। कॉलिंग टीम में तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कार्यभार पर निर्भर करेगी, अर्थात्, प्रति दिन/सप्ताह/महीने की जाने वाली कॉलों की संख्या।

विभिन्न टीमों का कार्यक्षेत्र:

क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम (जोखिम प्रबंधन के तहत) और क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम (जोखिम प्रबंधन के तहत) के बीच कार्यक्षेत्र का व्यापक विभाजन (विभाग) और संग्रहण/वसूली टीम की कार्य-प्रणाली निम्नानुसार होगी:

ऋण सुविधा	क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम
सभी सुविधाओं के लिए संवितरण-पश्चात अनुपालन	क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम
सभी सुविधाओं के लिए गैर-वित्तीय अनुपालन की निगरानी क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम	
बैंक जमा, एनएससी, केवीपी, एलआईसी के विरुद्ध डीएल/ओडी	क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम (1-90 डीपीडी) संग्रह/वसूली टीम (एनपीए चरण)
स्वर्ण ऋण	संग्रह/वसूली टीम
अन्य सभी सुविधाएं (टी.एल., सी.सी., ओ.डी. आदि)	संग्रह/वसूली टीम

संग्रहण एवं वसूली विभाग में विभिन्न टीमों के कार्य का दायरा निम्नानुसार होगा:

ऋण सुविधा	अवस्था	क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम
बैंक जमा, एनएससी, केवीपी, एलआईसी के विरुद्ध डीएल/ओडी	एनपीए	एनपीए रिकवरी टीम
स्वर्ण ऋण	1-90 डीपीडी	एसएमए-0 संग्रह टीम
	एनपीए	एनपीए रिकवरी टीम
टर्म लोन/आरसीडीएम	0-30 डीपीडी	एसएमए-0 संग्रह टीम
	31-90 डीपीडी	एसएमए-1/2 संग्रह टीम
	एनपीए	एनपीए रिकवरी टीम
कोई अन्य सुविधा	0-30 डीपीडी	एसएमए-0 संग्रह टीम
	31-90 डीपीडी	एसएमए-1/2 संग्रह टीम
	एनपीए	एनपीए रिकवरी टीम

## आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड

आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान, आय का प्रत्यावर्तन, वसूलियों का विनियोजन और आईआरएसी मानदंडों से संबंधित अन्य खंडों को ऋण नीति (धारा 10) में शामिल किया गया है।

परिसंपत्ति वर्गीकरण

एनपीए की श्रेणियाँ

बैंकों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को उस अवधि के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना आवश्यक है जिसके लिए परिसंपत्तियाँ गैर-निष्पादित नहीं हैं तथा बकाया राशि की वसूली।

- घटिया संपत्तियाँ • संदिग्ध संपत्तियाँ
- हानि संपत्ति

परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश

उपरोक्त श्रेणियों में परिसंपत्तियों का वर्गीकरण अच्छी तरह से परिभाषित ऋण कमजोरियों की डिग्री और बकाया राशि की वसूली के लिए संपार्श्विक सुरक्षा पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। बैंक ने सीबीएस में एनपीए मार्किंग सिस्टम को स्वचालित करके एनपीए की पहचान में देरी या स्थगित करने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए उचित आंतरिक प्रणालियाँ स्थापित की हैं।

अस्थायी कमियों वाला खाता

किसी परिसंपत्ति का एनपीए के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए। बैंक अग्रिम खाते को केवल ऊपर बताई गई कुछ कमियों के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा जो प्रकृति में अस्थायी हैं जैसे, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या बीमारी, अचानक नकदी की जरूरत, वेतन का देर से भुगतान, व्यवसाय में मंदी, अस्थायी रूप से सीमा से अधिक बकाया शेष, नवीनतम उपलब्ध स्टॉक विवरण के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति की अनुपलब्धता। • अस्थायी रूप से सीमा से अधिक बकाया शेष, • स्टॉक विवरण प्रस्तुत न करना और नियत तिथि पर सीमाओं का नवीनीकरण न करना, आदि।

अस्थायी कमियों से संबंधित सभी मामलों में, एसएसएफबी यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित अधिकारी निम्नलिखित मदों के लिए ऐसे मामलों की तुरंत जांच करें:

- संबंधित अधिकारी अतिदेय ऋण के कारण की जांच करेंगे और उधारकर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राजी करेंगे। • संबंधित अधिकारी अतिदेय ऋणकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और आय दस्तावेजों/नकदी प्रवाह का विश्लेषण करके उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करेंगे।

कार्यशील पूंजी खातों के लिए, सुनिश्चित करें कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण चालू परिसंपत्तियों की पर्याप्तता द्वारा कवर किए गए हैं, क्योंकि संकट के समय में चालू परिसंपत्तियों को आम तौर पर पहले विनियोजित किया जाता है। आहरण शक्ति स्टॉक स्टेटमेंट के आधार पर आनी चाहिए जो चालू है (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)

अन्य ऋणों जैसे कि एसएचजी, टर्म लोन, रिटेल लोन (बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन इत्यादि) के लिए, क्रेडिट ऑफिसर/रिकवरी एग्जीक्यूटिव अतिदेय के कारण की जांच करेंगे और उधारकर्ता को बकाया राशि चुकाने के लिए राजी करेंगे। अस्थायी कमियों से संबंधित सभी मामलों में, SSFB यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित अधिकारी तुरंत ऐसे मामलों की जांच करें और बैंक की क्रेडिट पॉलिसी में शामिल दिशानिर्देशों के अनुसार उचित सुधारात्मक कार्रवाई करें। SHG सुविधा के मामले में, माइक्रोफाइनेंस एग्जीक्यूटिव/लोन ऑफिसर कारण की जांच करेंगे और समूह को अतिदेय राशि चुकाने के लिए कहेंगे। माइक्रोफाइनेंस एग्जीक्यूटिव/लोन ऑफिसर SHG के मामले में अतिदेय राशि की वसूली के लिए ग्राहक और उनके समूह के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेंगे।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन

निम्नलिखित परिस्थितियों में खातों को एनपीए श्रेणी से 'मानक' परिसंपत्तियों में अपग्रेड किया जा सकता है। एक खाता जिसे कई कारणों (वित्तीय और/या गैर-वित्तीय) के कारण एनपीए के रूप में चिह्नित किया गया है, उसे 'मानक' के रूप में चिह्नित करने से पहले सभी कारणों को साफ़ करना होगा।

• वित्तीय कारण:

- उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन के बकाया का भुगतान □ ओवरड्राफ्ट / नकद ऋण सीमा को आहरण शक्ति के अनुरूप लाया जाता है

• गैर-वित्तीय कारण:

- बैंक की ऋण नीति के अनुसार आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों जैसे स्टॉक स्टेटमेंट, बुक डेट स्टेटमेंट आदि की डिलीवरी। □ समाप्त खाते का नवीनीकरण

ये निर्देश पुनर्गठित एनपीए खातों पर लागू नहीं होंगे जिनके लिए अलग से दिशानिर्देश मौजूद हैं।

बैलेंस शीट की तिथि के आसपास नियमित किए गए खाते:

उधार खातों का परिसंपत्ति वर्गीकरण, जहां बैलेंस शीट की तारीख से पहले एक या कुछ क्रेडिट दर्ज किए जाते हैं, को सावधानी से और बिना किसी व्यक्तिपरकता की गुंजाइश के संभाला जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि,

- जहां उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर खाता अंतर्निहित कमजोरी को इंगित करता है, खाता इसे एनपीए माना जाना चाहिए
- अन्य वास्तविक मामलों में, बैंकों को लेखा परीक्षकों द्वारा मांगे जाने पर खातों के नियमितीकरण के तरीके के बारे में वैधानिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षण अधिकारियों को संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उनके निष्पादन की स्थिति पर संदेह समाप्त हो सके।

### परिसंपत्ति वर्गीकरण उधारकर्ता के अनुसार होना चाहिए न कि सुविधा के अनुसार

- बैंक द्वारा उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं/ उधारकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति के विरुद्ध एनपीए माना जाएगा, न कि वह सुविधा या उसका हिस्सा जो अनियमित हो गया है।
- यदि ऋण पत्रों के विकास या लागू की गई गारंटियों से उत्पन्न डेबिट को एक अलग खाते में रखा जाता है, तो उस खाते में बकाया शेष राशि को भी आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुप्रयोग के उद्देश्य से उधारकर्ता के प्रमुख परिचालन खाते के एक भाग के रूप में माना जाना चाहिए।
- ऋण लेने वाले को दी गई किसी अन्य सुविधा को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर एलसी के तहत छूट प्राप्त बिलों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। हालांकि, एलसी के तहत प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार नहीं किया जाता है या एलसी के तहत भुगतान किसी भी कारण से एलसी जारी करने वाले बैंक द्वारा नियत तिथि पर नहीं किया जाता है और ऋण लेने वाला तुरंत वितरित और बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे उस तिथि से एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जिस तिथि को अन्य सुविधा को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिदेय प्राप्य को एनपीए माना जाएगा यदि वे 90 दिनों या उससे अधिक समय तक भुगतान न किए जाएं। यदि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और प्लेन वेनिला स्वैप और ऑप्शंस से उत्पन्न अतिदेय राशि एनपीए बन जाती है, तो क्लाइंट को दी गई अन्य सभी वित्तपोषित सुविधाओं को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- ऐसे मामलों में जहां अनुबंध में व्युत्पन्न अनुबंध की वर्तमान मार्क-टू-मार्केट वैल्यू का निपटान इसकी परिपक्वता से पहले करने का प्रावधान है, केवल वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर (संभावित भावी एक्सपोजर नहीं) को 90 दिनों की अतिदेय अवधि के बाद एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन मामलों में, चूंकि अतिदेय प्राप्य राशियाँ पहले से ही प्रोद्भव आधार पर बुक की गई अप्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए अतिदेय अवधि के 90 दिनों के बाद राशि को आय खाते से उलट दिया जाना चाहिए।

### सावधि जमा, एनएससी, केवीपी/आईवीपी के विरुद्ध अग्रिम

- सावधि जमा, समर्पण के लिए पात्र एनएससी, आईवीपी, केवीपी और जीवन बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध अग्रिम ऐसे खातों को एनपीए नहीं माना जाना चाहिए, बशर्ते ऐसे खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो। • सोने के आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी प्रतिभूतियों के बदले दिए गए अग्रिम कवर नहीं किए जाते हैं।  
इस छूट से

### ब्याज भुगतान पर स्थगन के साथ ऋण

- औद्योगिक परियोजनाओं या कृषि बागानों आदि के लिए दिए गए बैंक वित्त के मामले में, जहाँ ब्याज के भुगतान के लिए स्थगन उपलब्ध है, ब्याज का भुगतान स्थगन या गर्भावधि अवधि समाप्त होने के बाद ही 'देय' होता है। इसलिए, ब्याज की ऐसी राशियाँ अतिदेय नहीं होती हैं और इसलिए ब्याज के डेबिट की तिथि के संदर्भ में एनपीए नहीं बनती हैं। यदि ब्याज का संग्रह नहीं किया जाता है, तो वे ब्याज के भुगतान की नियत तिथि के बाद अतिदेय हो जाती हैं।
- स्टाफ सदस्यों को दिए गए आवास ऋण या इसी प्रकार के अग्रिमों के मामले में, जहाँ ब्याज मूलधन की वसूली के बाद देय होता है, ब्याज को पहली तिमाही से अतिदेय नहीं माना जाना चाहिए।  
ऐसे ऋणों/अग्रिमों को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाना चाहिए जब संबंधित देय तिथियों पर मूलधन की किस्त या ब्याज के भुगतान में चूक हो।

### कृषि प्रगति

- अल्पावधि फसलों के लिए दिया गया ऋण एनपीए माना जाएगा, यदि मूलधन या ब्याज की किस्त बकाया हो।

उस पर ब्याज दो फसल मौसमों से बकाया है

- लंबी अवधि की फसलों के लिए दिए गए ऋण को एनपीए माना जाएगा यदि उस पर मूलधन या ब्याज की किस्त एक फसल मौसम के लिए बकाया रहती है (लंबी अवधि की फसलें ऐसी फसलें होंगी जिनका फसल मौसम एक वर्ष से अधिक लंबा होता है)। प्रत्येक फसल के लिए फसल मौसम, जिसका अर्थ है उगाई गई फसलों की कटाई तक की अवधि एसएलबीसी द्वारा निर्धारित की जाएगी। किसी कृषक द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि के आधार पर उपरोक्त एनपीए मानदंड उसके द्वारा लिए गए कृषि ऋणों पर भी लागू होंगे।
- जहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता प्रभावित होती है, वहां बैंक राहत उपाय के रूप में स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि अल्पकालिक उत्पादन ऋण को सावधि ऋण में परिवर्तित किया जाए या पुनर्भुगतान अवधि को पुनर्निर्धारित किया जाए तथा 25 मार्च, 2015 के आरबीआई परिपत्र FIDD.NO.FSD.BC.52/05.10.001/2014-15 के दिशानिर्देशों के अधीन नए अल्पकालिक ऋण को मंजूरी दी जाए।
- रूपांतरण या पुनर्निर्धारण के ऐसे मामलों में, सावधि ऋण के साथ-साथ नए अल्पावधि ऋण को भी चालू बकाया माना जा सकता है और उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इन ऋणों का परिसंपत्ति वर्गीकरण उसके बाद संशोधित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा और यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त दो फसल मौसमों या एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है, तो इसे एनपीए माना जाएगा।
- कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कृषकों को दिए गए ग्रामीण आवास अग्रिमों के मामले में पुनर्भुगतान अनुसूची तय करते समय, इंदिरा आवास योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के तहत, ऐसे अग्रिमों पर देय ब्याज/किस्त को फसल चक्र से जोड़ा जाना है। • एसएलबीसी का दस्तावेज और समयसीमा कहां उपलब्ध होगी

#### सरकारी गारंटीकृत अग्रिम

- केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को अतिदेय होने के बावजूद एनपीए तभी माना जा सकता है जब सरकार लागू होने पर अपनी गारंटी को अस्वीकार कर दे। सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से यह छूट आय की पहचान के उद्देश्य से नहीं है।
- राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत जोखिम के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान आवश्यकताओं को तय करने के लिए गारंटी के आह्वान की आवश्यकता को अलग कर दिया गया है। 31-3-2006 को समाप्त होने वाले वर्ष से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड लागू होंगे, यदि बैंक को देय ब्याज और/या मूलधन या कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
- जिन निवेशों पर IRAC मानदंड लागू हैं, वे निवेश नीति द्वारा शासित होंगे
- परियोजना कार्यान्वयनाधीन

वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा वित्तपोषित सभी परियोजनाओं के लिए, परियोजना के वित्तीय समापन के समय परियोजना की 'पूर्णता की तिथि' और 'वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत की तिथि' (डीसीसीओ) स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए और इसे औपचारिक रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए। ऋण की स्वीकृति के दौरान बैंक द्वारा मूल्यांकन नोट में भी इनका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

#### परियोजना ऋण

ऐसे कई अवसर आते हैं जब कानूनी तथा अन्य बाह्य कारणों जैसे सरकारी मंजूरी में देरी आदि के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हो जाती है। ये सभी कारक, जो प्रमोटर्स के नियंत्रण से परे हैं, परियोजना के कार्यान्वयन में देरी का कारण बन सकते हैं तथा बैंकों द्वारा ऋणों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण करना पड़ सकता है।

तदनुसार, वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने से पहले परियोजना ऋणों पर निम्नलिखित परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होंगे। इस उद्देश्य के लिए, सभी परियोजना ऋणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण • गैर-बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण

इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य के लिए, 'प्रोजेक्ट लोन' का अर्थ किसी भी अवधि ऋण से होगा जिसे आर्थिक उद्यम की स्थापना के उद्देश्य से बढ़ाया गया हो। इसके अलावा, बुनियादी ढांचा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आरबीआई की मौजूदा सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में परिभाषित किया गया है।

प्रावधान मानदंड

हानि परिसंपत्ति

संपूर्ण परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश परिसंपत्तियों को बहीखातों में रहने दिया जाता है, तो बकाया राशि का 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए।

घटिया और संदिग्ध परिसंपत्तियां

100 प्रतिशत सीमा तक अग्रिम राशि उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा कवर नहीं की जाती है जिसके लिए बैंक के पास वैध सहारा है, तथा वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थवादी आधार पर लगाया जाता है।

सुरक्षित हिस्से के संबंध में, निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जा सकता है, सुरक्षित हिस्से के 15 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की दर पर, जो उस अवधि पर निर्भर करेगा जिसके लिए परिसंपत्ति संदिग्ध रही है:

वह अवधि जिसके लिए अग्रिम राशि 'संदिग्ध' श्रेणी में रही	प्रावधान आवश्यकता (%) सुरक्षित 15	प्रावधान आवश्यकता (%) असुरक्षित 25
उप मानक		
डी1 - संदिग्ध श्रेणी में एक वर्ष तक	25	100
डी2 - संदिग्ध श्रेणी में एक से तीन वर्ष	40	100
डी3 - संदिग्ध श्रेणी में तीन वर्ष से अधिक	100	100

प्रावधान प्रयोजनों के लिए सुरक्षा का मूल्यांकन:

- 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के शेष वाले एनपीए के लिए, स्टॉक मूल्यांकन पर विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त बाहरी एजेंसियों द्वारा वार्षिक अंतराल पर स्टॉक ऑडिट किया जाना चाहिए।

बैंक के पक्ष में प्रभारित अचल संपत्तियों जैसे संपार्श्विक का मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तीन वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए।

मानक परिसंपत्तियाँ

सभी प्रकार की मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान आवश्यकताएं आरबीआई के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी। शुद्ध एनपीए निकालने के लिए मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों की गणना नहीं की जानी चाहिए। नेट ऑफ, मध्यम उद्यमों के लिए प्रावधान आदि पर विभिन्न अन्य दिशा-निर्देश आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में दिए गए हैं।

संग्रह

परिचय

- एसएफबी की संग्रह और वसूली नीति ग्राहकों के सम्मान और गरिमा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बकाया राशि के संग्रह में अनावश्यक रूप से दबाव डालने वाली नीतियों का पालन नहीं किया जाएगा
- यह नीति शिष्टाचार, निष्पक्ष व्यवहार और अनुनय पर आधारित है। SSFB बकाया राशि के संग्रह के संबंध में निष्पक्ष व्यवहार अपनाने में विश्वास करता है और इस प्रकार ग्राहकों का विश्वास और दीर्घकालिक संबंध को बढ़ावा देता है।
- एसएफबी द्वारा स्वीकृत किसी भी ऋण के लिए पुनर्भुगतान कार्यक्रम निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा:  
उधारकर्ता की भुगतान क्षमता और नकदी प्रवाह पैटर्न



- एसएसएफबी ग्राहक को ब्याज की गणना की विधि और ब्याज दर निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में सूचित रखेगा।

समान मासिक किस्तों (ईएमआई) या पुनर्भुगतान के किसी अन्य तरीके के माध्यम से भुगतान ग्राहकों से देय ब्याज और मूलधन के विरुद्ध विनियोजित किया जाएगा।

एसएसएफबी ग्राहकों को सहमत पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में वास्तविक कठिनाई के मामले में सहायता और मार्गदर्शन के लिए एसएसएफबी से संपर्क करेगा।

#### संग्रहण दिशानिर्देश

यदि ग्राहक पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन नहीं करता है, तो बकाया राशि की वसूली के लिए देश के कानूनों और बैंक के साथ ग्राहक के अनुबंध के अनुसार एक परिभाषित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में ग्राहक को नोटिस भेजकर या व्यक्तिगत रूप से जाकर या कॉल करके याद दिलाना और/या यदि कोई हो तो सुरक्षा वापस लेना शामिल होगा;

- संग्रह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर दौरे/कॉल/फॉलो-अप किए जाएंगे। • विलंब से पुनर्भुगतान शुल्क नियम के तहत निर्दिष्ट किस्त के साथ एकत्र किया जाएगा।

- एसएसएफबी अपने

उधारकर्ताओं की गोपनीयता का सम्मान करेगा • एसएसएफबी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके उधारकर्ताओं के साथ सभी लिखित और मौखिक संचार गोपनीयता के दायरे में होंगे।

सरल व्यावसायिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा और बैंक उधारकर्ताओं के साथ बातचीत के लिए नागरिक शिष्टाचार अपनाएगा। • सामान्यतः एसएसएफबी के प्रतिनिधि उधारकर्ताओं से सुबह 0700 बजे से शाम होने से पहले संपर्क करेंगे।

जब तक कि उसके व्यवसाय या पेशे की विशेष परिस्थिति के कारण SSFB को किसी अलग समय पर संपर्क करने की आवश्यकता न हो

- ग्राहक से सामान्यतः उसकी पसंद के स्थान पर संपर्क किया जाएगा और किसी निर्दिष्ट स्थान के अभाव में, उसके निवास स्थान पर या व्यवसाय/व्यवसाय के स्थान पर संपर्क किया जाएगा। • अनुवर्ती कार्रवाई और बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों की पहचान और अधिकार उधारकर्ताओं को पहले ही बता दिए जाएंगे। एसएसएफबी स्टाफ या बकाया राशि या/और सुरक्षित परिसंपत्तियों के संग्रह, पुनः कब्जे में बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति स्वयं की पहचान करेगा और अनुरोध किए जाने पर एसएसएफबी द्वारा जारी किया गया प्राधिकरण पत्र प्रदर्शित करेगा।

- किसी विशेष समय या विशेष स्थान पर कॉल से बचने के लिए उधारकर्ता के अनुरोध को तब तक माना जाएगा जब तक कि यथासंभव

- एसएसएफबी बकाया राशि की वसूली के लिए किए गए प्रयासों और संचार सेट की प्रतियों का दस्तावेजीकरण करेगा

ग्राहकों को यदि कोई हो तो उसका विवरण रिकार्ड में रखा जाएगा

- परिवार में शोक या अन्य विपत्तिपूर्ण अवसरों जैसे अनुचित अवसरों और विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक समारोहों में बकाया राशि वसूलने के लिए कॉल करने/दौरे करने से बचना चाहिए।

- यदि कोई कर्मचारी उचित संग्रह प्रथाओं का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो वह इसके लिए उत्तरदायी होगा संगठन की मानव संसाधन नीतियों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई।

#### एनपीए की वसूली और समाधान

##### परिचय

नियमित आधार पर सतत और केन्द्रित अनुवर्ती कार्रवाई अच्छी वसूली के लिए अंतर्निहित सिद्धांत है और साथ ही उधारकर्ताओं की वास्तविक समस्याओं की पहचान करने के लिए भी ताकि नकदी प्रवाह में किसी भी अस्थायी विसंगति को ठीक करने/पुनर्भुगतान अनुसूची की समीक्षा आदि के लिए समय पर सहायता प्रदान की जा सके।

- प्रयास यह होना चाहिए कि परिसंपत्ति को एनपीए बनने से रोका जाए न कि सुधारात्मक उपाय अपनाए जाएं।

एनपीए के बाद के चरण में उपाय

- योग्य मामलों में समय पर पुनर्गठन/पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए

• जहां सम्पूर्ण वसूली की संभावना कम/समयबद्ध हो, वहां बैंक एकमुश्त निपटान का विकल्प चुन सकता है।

• बैंक एआरसी/

बैंकों/एफआई को एनपीए परिसंपत्तियों की बिक्री पर विचार कर सकता है। • बैंक आरबीआई

के दिशानिर्देशों के अनुसार जानबूझकर चूक करने वालों की पहचान करने और उन्हें घोषित करने के प्रावधानों को लागू करेगा। जानबूझकर चूक करने वालों से निपटने के दौरान दृष्टिकोण में सामान्य स्थिरता की उम्मीद की जाती है।

समाधान तंत्र

एनपीए खातों का उन्नयन

जैसे ही कोई खाता एनपीए में बदल जाता है, शाखा द्वारा खाते में ब्याज या अतिदेय ईएमआई जैसे सभी बकाया को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि परिसंपत्ति वर्ग में आगे की गिरावट से बचा जा सके। जब एनपीए खाते में ब्याज और/या किस्तों/अतिदेय ईएमआई और सभी निलंबित व्यय सहित सभी बकाया पूरी तरह से चुका दिए जाते हैं, तो रिकवरी यूनिट को खाते को अपग्रेड करने पर विचार करना चाहिए। हालांकि, ऐसे खातों के मामले में जहां क्रेडिट सुविधाओं की समीक्षा निर्धारित है या आहरण को आहरण शक्ति से जोड़ा गया है, बैंक को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित प्राधिकारी के साथ सीमाओं की समीक्षा करनी चाहिए और केवल सीमा के नवीनीकरण पर ही खातों को अपग्रेड किया जाना चाहिए और उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जिन खातों में कमियां अस्थायी प्रकृति की हैं, एसएसएफबी उधारकर्ता के अनुरोध पर ऐसे खातों के पुनर्गठन पर विचार कर सकता है और पुनर्गठन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए खाते के संतोषजनक संचालन के बाद खाते को अपग्रेड किया जाएगा।

एनपीए खातों को बंद करना

जैसे ही कोई खाता एनपीए में बदल जाता है, शाखा द्वारा खाते को अपग्रेड करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

हालांकि, कई बार शाखाओं द्वारा खाते को अपग्रेड करने के प्रयास उधारकर्ता की जानबूझकर की गई चूक, खराब वित्तीय स्थिति आदि के कारण व्यर्थ साबित होते हैं। शाखाओं और वसूली विभाग को ऐसे खातों की पहचान करनी चाहिए और एनपीए के तुरंत बाद एनपीए खाते को वापस लेने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और पैरा 6.4 में बताए अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

कानूनी कार्रवाई से छूट/बट्टे खाते में डालना

• यदि उधारकर्ता के पास भुगतान करने का कोई साधन नहीं है और एसएसएफबी को विश्वास है कि बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकती है, तो एसएसएफबी कानूनी कार्रवाई से छूट देगा और राशि को बट्टे खाते में डाल देगा। • कानूनी कार्रवाई से छूट/बट्टे खाते में डालने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब अधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि उधारकर्ता के पास कोई ठोस सुरक्षा या कोई कुर्की योग्य संपत्ति नहीं है, उसके पास पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त आय नहीं है और कानूनी सहारा लेने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि, कानूनी कार्रवाई से छूट से पहले राजस्व वसूली उपायों (जहां भी लागू हो) की शुरुआत की जा सकती है। • सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं द्वारा समर्थित प्रस्तावों के लिए, कानूनी कार्रवाई से छूट एक से प्राप्त की जाएगी।

स्वीकृति प्राधिकारी से उच्चतर स्तर

• बट्टे खाते में डाली गई राशि को प्रतिनिधिमंडल के अनुसार नामित अनुमोदन प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

एसएसएफबी का अधिकार

• विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालने और तकनीकी बट्टे खाते में डालने के मानदंड वसूली और संग्रह में उल्लिखित हैं। नियमावली।

<sup>1</sup> वित्तफुल डिफॉल्ट्स पर मास्टर सर्कुलर

[https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9044](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9044)

रणनीति से बाहर आएँ

एसएसएफबी उन खातों पर निकासी/जोखिम में कमी पर विचार कर सकता है जो वसूली में चले गए हैं या उन खातों पर जहां पूंजी पर रिटर्न उनकी समग्र रणनीति के अनुरूप नहीं है। चूंकि निकासी रणनीति के परिणामस्वरूप ग्राहक के साथ संबंध समाप्त हो जाता है, इसलिए इसके लिए वसूली और संग्रह मैनुअल के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

पुनर्प्राप्ति के लिए उपकरण

एसएसएफबी समस्याग्रस्त खातों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किसी भी व्यापक पद्धति का उपयोग करेगा:

• पुनर्वास • पुनर्निर्धारण/

पुनर्गठन • एमएसएमई के लिए सुधारात्मक कार्य योजना •

निपटान/समझौता • कानूनी कार्रवाई • बट्टे खाते में डालना

• संग्रह एजेंसी, वसूली एजेंट, जासूसी और जांच एजेंसियों की नियुक्ति • एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) / अन्य संस्थाओं को बेचना • अन्य उपकरण।

पुनर्वास

यह उन खातों का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ उधारकर्ता SSFB को अपना बकाया चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास ऐसा करने की क्षमता/धन नहीं है। ऐसे मामलों में, वसूली दल को बीमारी के कारणों की जांच करनी चाहिए और कार्रवाई की सिफारिश करनी चाहिए। ऐसे मामलों में एनपीए प्रबंधन का पहला ध्यान उधारकर्ता के व्यवसाय के पुनर्वास द्वारा ऋण के संभावित उन्नयन पर होगा।

पुनर्वास विकल्प की जांच उन मामलों में की जाएगी जहां व्यवसाय की व्यवहार्यता को बहाल करने की प्रथम दृष्टया गुंजाइश है। कार्य योजना ऐसे मामलों में लागू की जाएगी जहां न्यूनतम अतिरिक्त निधि और सीमांत रियायतों के माध्यम से इकाई को अच्छी स्थिति में वापस लाना संभव है, जिससे इकाई अधिकतम 5-7 वर्षों की अवधि के भीतर अपने दायित्वों को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम होगी।

पुनर्वास दृष्टिकोण सामान्यतः तभी अपनाया जाएगा जब एसएसएफबी संतुष्ट हो कि:

• पुनर्गठन के संबंध में पात्रता मानदंड और नियामक दिशानिर्देश पूरे किए गए हैं। • प्रमोटर्स की ओर से ईमानदारी की कमी के अलावा अन्य कारकों के कारण ऋण एनपीए बन गया है। • दायित्वकर्ता की वास्तविकता और प्रस्ताव की व्यवहार्यता स्थापित है। • इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है।

इकाई के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं ताकि वह समयावधि में उधारों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर सके:

• ब्याज में संशोधन और/या किस्तों का पुनर्निर्धारण • आवश्यकता आधारित न्यूनतम अतिरिक्त धनराशि

उपलब्ध कराना। एसएसएफबी अतिरिक्त धनराशि लेने पर विचार कर सकता है।

ऐसे जोखिम के लिए प्रतिभूतियाँ

• ऐसे मामलों में जहां उधारकर्ता की ऋण आवश्यकताओं को कंसोर्टियम/एकाधिक बैंकिंग व्यवस्था के तहत कई संस्थानों द्वारा पूरा किया जा रहा है, एसएसएफबी उधारकर्ता के अन्य उधारदाताओं के साथ निरंतर संपर्क में रहेगा और उनकी प्रस्तावित कार्रवाइयों पर कड़ी नजर रखेगा।

पुनर्निर्धारण/पुनर्गठन

पुनर्निर्धारण के प्रकार

संग्रहण और वसूली नीति

## ऋण पुनर्निर्धारण

उचित प्राधिकारी ग्राहक की मूल शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान करने में असमर्थता का गहन मूल्यांकन करने के बाद ग्राहक के ऋण की पुनर्भुगतान शर्तों और संरचना में परिवर्तन को अधिकृत करने का हकदार होगा।

- मूलधन और सभी बकाया ऋणों की राशि को मिलाकर नया पुनर्निर्धारित ऋण खोला जाएगा। • ब्याज की वर्तमान दर को ध्यान में रखा जाएगा।

- अवधि का निर्धारण अंतिम किस्त राशि के आधार पर किया जाएगा। □ प्रक्रियात्मक पुनर्निर्धारण प्रक्रियात्मक/तकनीकी

पुनर्निर्धारण में पुनर्भुगतान विंडो में परिवर्तन, उत्पाद

प्रकार में परिवर्तन और गलत ऋण बुकिंग शामिल होंगे। □ पुनर्भुगतान अवकाश

पुनर्भुगतान अवकाश एक विशेष प्रावधान है जो उन ग्राहकों को दिया जाएगा जो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के कारण आर्थिक नुकसान के संपर्क में हैं, जैसे: सरकार द्वारा विध्वंस अभियान, बाढ़ या आग से होने वाली तबाही या अचानक हड़ताल या बंद। तत्काल राहत उपाय के रूप में, ग्राहकों को ग्राहक और आसपास के लोगों को होने वाली परेशानी की सीमा के आधार पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ब्याज या मूलधन या सभी/अन्य बकाया राशि का पुनर्भुगतान छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

□ आरबीआई/सरकारी दिशानिर्देशों के कारण पुनर्भुगतान अनुसूची में परिवर्तन

उधारकर्ता की भुगतान करने में असमर्थता के कारण पुनर्गठन के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश

एसएसएफबी द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया जाएगा:

केवल तभी जब उधारकर्ता जानबूझकर चूककर्ता न हो। हालाँकि, समिति उधारकर्ता को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के कारणों की समीक्षा कर सकती है और खुद को संतुष्ट कर सकती है कि उधारकर्ता जानबूझकर चूक को सुधारने की स्थिति में है। ऐसे मामलों को पुनर्गठित करने के निर्णय को बोर्ड की मंजूरी के साथ-साथ उस समिति की सिफारिश भी लेनी होगी जिसने उधारकर्ता को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया है।

- यदि प्रमोटरों की ओर से अपनी व्यक्तिगत गारंटी के विस्तार के लिए उनकी निवल संपत्ति के विवरण के साथ-साथ परिसंपत्तियों के कानूनी शीर्षकों की प्रतियों के समर्थन में प्रतिबद्धता है। • यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऋण की वसूली की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले उधारकर्ताओं द्वारा प्रतिबद्धता से किसी भी विचलन को वसूली प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक वैध कारक के रूप में माना जा सकता है। • धोखाधड़ी और दुर्भावना के मामले पुनर्गठन के लिए अयोग्य होंगे। हालांकि, धोखाधड़ी / दुर्व्यवहार के मामलों में जहां मौजूदा प्रमोटरों को नए प्रमोटरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और उधारकर्ता को ऐसे पूर्ववर्ती प्रमोटरों / प्रबंधन से पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है, बैंक और समिति पूर्ववर्ती प्रमोटरों / प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रखने के पूर्वाग्रह के बिना, उनकी व्यवहार्यता के आधार पर ऐसे खातों के पुनर्गठन पर विचार कर सकते हैं। • इसके अलावा, ऐसे खाते स्वामित्व में परिवर्तन के बाद पुनर्वित्त पर उपलब्ध परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभों के लिए भी पात्र हो सकते हैं, यदि स्वामित्व में ऐसा परिवर्तन "उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर विवेकपूर्ण मानदंड (रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना के बाहर)" पर परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों के तहत किया जाता है। • यदि उधारकर्ता का संकट अस्थायी प्रकृति का है और समिति भविष्य के बारे में संतुष्ट है

उधारकर्ता की आय का स्रोत

- पुनर्गठन पैकेज में समयसीमा निर्धारित की जाएगी जिसके दौरान कुछ निश्चित व्यवहार्यता मील के पत्थर जैसे कि कुछ वित्तीय अनुपातों में सुधार हासिल किया जा सकता है (केवल व्यावसायिक ऋणों के लिए लागू)

एमएसएमई के लिए सुधारात्मक कार्य योजना2

सुधार- यह दृष्टिकोण एसएसएफबी द्वारा निम्नलिखित के बाद अपनाया जाएगा:

- ऋण को नियमित करने के लिए उधारकर्ता से प्रतिबद्धता प्राप्त करना, कार्रवाई और समयसीमा निर्दिष्ट करना

खाता एसएमए स्थिति से बाहर आ जाए या एनपीए श्रेणी में न चला जाए। • प्रतिबद्धता को आवश्यक अवधि के भीतर पहचान योग्य नकदी प्रवाह के साथ समर्थित किया जाना चाहिए और

मौजूदा ऋणदाताओं की ओर से कोई हानि या त्याग किए बिना

• आदर्श रूप से यह प्रक्रिया उधारकर्ता द्वारा संचालित होनी चाहिए, लेकिन कुछ अपवादात्मक मामलों में समिति 3 केवल अपरिहार्य बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्त प्रदान करने पर विचार कर सकती है।

• ऐसे अतिरिक्त वित्त को अधिकतम 6 महीने की अवधि के भीतर नियमित किया जाना चाहिए। • एक वर्ष के भीतर वित्त पोषण के साथ बार-बार सुधार, पुनर्गठन के रूप में माना जाएगा। • जहां किसी भी ऋणदाता द्वारा खाते को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किया गया है, वहां कोई अतिरिक्त वित्त मंजूर नहीं किया जाएगा।

#### निपटान/समझौता<sup>4</sup>

• समझौता निपटान से तात्पर्य बातचीत के माध्यम से किए गए निपटान से है, जहां उधारकर्ता भुगतान करने की पेशकश करता है और एसएसएफबी अपने बकाए के पूर्ण और अंतिम निपटान में संबंधित ऋण अनुबंध के तहत उन्हें देय कुल राशि से कम राशि स्वीकार करने के लिए सहमत होता है।

• इस निपटान में अनिवार्य रूप से एकमुश्त आधार पर अपने बकाये के एक हिस्से को लिखने और/या माफ करने के माध्यम से एक निश्चित त्याग शामिल होता है। • सभी निपटान/समझौता निर्णयों को नामित अनुमोदन प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया

जाएगा।

एसएसएफबी के प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल के अनुसार

• नीति यह मानती है कि सभी समझौता प्रस्तावों के मामले में समान रूप से पालन किए जा सकने वाले सटीक दिशा-निर्देश निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्रस्ताव परिस्थितियों के संदर्भ में अद्वितीय होता है, जिसके कारण उसे पुनर्प्राप्ति विकल्प के रूप में विचार करने की आवश्यकता होती है।

• हालांकि, नीति में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें समझौता प्रस्तावों पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए: □ बैंक समझौते के निपटान/ओटीएस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, भले ही स्थिति कुछ भी हो।

वसूली कार्यवाही का वर्तमान चरण और स्थिति

□ कोई भी समझौता बातचीत के ज़रिए किया गया समझौता होगा जिसके तहत SSFB अपने बकाए को यथासंभव अधिकतम सीमा तक वसूलने का प्रयास करेगा, जिसमें न्यूनतम त्याग होगा। हालांकि, यह माना जाता है कि सौहार्दपूर्ण समझौते केवल जीत-जीत की स्थिति में ही संभव हैं और त्याग समझौते का एक हिस्सा है। □ समझौता चाहने वाली उधार लेने वाली संस्था की गतिविधि की नवीनतम स्थिति को बातचीत के दौरान ध्यान में रखा जाएगा। □ जहाँ तक संभव हो, उधारकर्ता से उसके ऋण के सबूत के तौर पर एक प्रारंभिक डाउन-पेमेंट लिया जाना चाहिए।

एसएसएफबी के साथ समझौता समझौते को आगे बढ़ाने का इरादा

□ यदि उधारकर्ता के पास अन्य समूह, कंपनियाँ हैं जो SSFB के साथ लेन-देन करती हैं, तो इन कंपनियों या मूल कंपनी के प्रभाव का उपयोग बेहतर समझौते के लिए और/या समझौते की पूरी राशि की वसूली तक अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

□ एकमुश्त निपटान वार्ता के समय जब ओटीएस राशि का भुगतान किशतों में करने का प्रस्ताव किया जाता है, तो ओटीएस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उधारकर्ता की गंभीरता और तैयारी पर ध्यान दिया जाएगा।

□ यदि आवश्यक हो और व्यावहारिक हो तो, निपटान की शर्तों और नियमों को ध्यान में रखते हुए मुकदमा दायर किया जाएगा। अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और अदालत से सहमति डिक्री प्राप्त की जानी चाहिए

<sup>2</sup> सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा [https://rbi.org.in/Scripts/BS\\_CircularIndexDisplay.aspx?Id=10304](https://rbi.org.in/Scripts/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=10304) एमएसएमई खाता निगरानी और उसके बाद के सीएपी का विवरण ऋण नीति में शामिल है <sup>3</sup> सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा

<sup>4</sup> अधिक विवरण और प्रक्रिया के लिए परिशिष्ट VII देखें

□ यह माना जाता है कि ओटीएस राशि सामान्यतः प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य से कम नहीं होगी। वसूली योग्य मूल्य पर विचार करते समय विभिन्न कारकों जैसे कि जबरन बिक्री मूल्य, धन की शीघ्र प्राप्ति, संपत्ति की बिक्री योग्यता, प्रकार, प्रयास और लागत तथा खाते में प्रतिफल पर उचित विचार किया जाएगा।

□ आम तौर पर जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह माना जाता है कि, कभी-कभी व्यावसायिक विवेक के लिए जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के मामले में भी समझौता करना पड़ता है, जिस पर केस-टू-केस आधार पर विचार किया जाएगा।

□ समझौते की शर्तों के अनुसार प्रतिबद्ध समझौता राशि प्राप्त न होने की स्थिति में, समझौते से पहले शुरू की गई वसूली कार्यवाही तत्काल जारी रहेगी। □ समझौता समझौते को पहले मंजूरी देने वाला प्राधिकरण समझौते की शर्तों में संशोधन पर विचार कर सकता है। हालांकि, बोर्ड द्वारा अनुमोदित समझौते/समझौते के मामले में, एमडी और मुख्य जोखिम अधिकारी संयुक्त रूप से ऐसे संशोधनों के लिए अनुमति देने वाले प्राधिकारी होंगे।

□ अनिर्धारित ब्याज के त्याग के मामले में, इसकी गणना एसएसएफबी की प्रचलित आधार दर (सरल) या वाद/निर्णय दर (सरल) में अनुबंधित दर/ब्याज दावे पर की जा सकती है। □ समझौता निपटान/बट्टे खाते में डालने के मामलों में, त्याग की राशि 'निपटान तिथि' पर शेष राशि/बकाया के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी, जिसे समझौता निपटान/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों में दर्शाया जाएगा। □ जहां भी ओटीएस राशि अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी/एआरसी या किसी अन्य संस्था/व्यक्ति द्वारा वित्तपोषित की जाती है, एसएसएफबी ऋण/प्रतिभूतियों को उनके पक्ष में सौंप सकता है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे।

□ इस दिशा में कदम बैंक के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्तर पर शुरू किए जा सकते हैं। इसके तहत निपटान के लिए आने वाले उधारकर्ताओं को त्याग की राशि पर पहुंचने के लिए श्रेणीबद्ध वरीयता दी जा सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्षतिग्रस्त संपत्ति वसूली पथ/संपत्ति वर्ग में किस चरण में है- यानी घटिया/संदेहास्पद/मुकदमा दायर किया गया लेकिन शुरुआती चरणों में/मुकदमा डिक्री के कगार पर दायर किया गया या डिक्री प्राप्त की गई और डीसी प्राप्त की गई आदि। बैंक बातचीत के जरिए निपटान पर पहुंचने के लिए ऋण शेष राशि के एक हिस्से को बट्टे खाते में डालने/ब्याज की छूट/ब्याज की छूट या इनके संयोजन पर विचार कर सकता है।

#### कानूनी कार्रवाई

जहां भी निकास, पुनर्गठन और पुनर्वास या निपटान/समझौता समाप्त हो गया हो या संभव न हो, वहां उधारकर्ता/गारंटर के विरुद्ध कानूनी वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

सभी कानूनी वसूली कार्रवाइयों को वसूली और संग्रह मैनुअल में SSFB के प्राधिकरण के प्रत्यायोजन के अनुसार नामित अनुमोदन अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। जानबूझकर चूक के मामलों में, (जैसे कि धन का डायवर्सन और साइफनिंग), उधारकर्ता की ओर से धोखाधड़ी और दुर्भावना, कानूनी कार्रवाई वसूली के लिए पहला और एकमात्र विकल्प हो सकता है, क्योंकि वसूली का कोई अन्य विकल्प उचित नहीं होगा।

एनपीए उधारकर्ताओं के संबंध में कानूनी वसूली विकल्पों का सारांश नीचे दिया गया है:

#### SARFAESI अधिनियम 2002 के अंतर्गत कार्रवाई

एसएआरएफईएसआई अधिनियम 2002 का प्रावधान उन संपत्तियों में बकाया राशि वसूलने में एक प्रभावी उपकरण साबित हुआ है, जहां वे सुरक्षा परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित हैं और बकाया राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, बिना किसी अतिरिक्त व्यय/विलंब के। यदि रिकॉल पत्र अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वांछित परिणाम नहीं देता है, तो एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। वसूली टीमों को कार्रवाई शुरू करने के लिए वसूली और संग्रह मैनुअल में दिए गए निर्धारित प्रारूप में खाते का विवरण कानूनी विभाग को प्रस्तुत करना चाहिए।

जहां भी संभव हो प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण अधिनियम के तहत सुरक्षा लागू करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

वित्तीय आस्तियां और सुरक्षा हित प्रवर्तन ("SARFAESI") अधिनियम, 2002 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

पुनर्प्राप्ति और संग्रहण मैनुअल में परिभाषित प्रक्रियाएं।

एसएसएफबी के पास बंधक रखी गई सभी परिसंपत्तियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जब्त/वापस लिया जा सकता है:

- सभी एनपीए उधार खातों के अंतर्गत एसएसएफबी के पास बंधक रखी गई परिसंपत्तियों को जब्त किया जा सकता है।  
पुनः कब्जा किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी जब्ती/पुनः कब्जा कानूनी रूप से अनुमत हो
- धारा 13(2) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का संकेत देते हुए एक नोटिस उधारकर्ता को दिया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें खाता नियमित करने/बंद करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए और केवल उधारकर्ता द्वारा अनुपालन करने में विफल रहने पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए।
- नोटिस की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र बंधक/बंधक परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया जाना चाहिए  
यदि खाता बंद नहीं किया गया है तो अवधि
- परिसंपत्तियों पर कब्जा लेने के बाद एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद, यदि उधारकर्ता नियमितीकरण/बंद करने/बकाया राशि का निपटान करने के लिए नहीं आता है, तो जब्त की गई परिसंपत्तियों का मूल्यांकन प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।  
एसएसएफबी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता
- जब्त की गई परिसंपत्तियों के निपटान की व्यवस्था की जाएगी ताकि ऐसी परिसंपत्तियों को कब्जे में लिया जा सके।  
ऋणदाता द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने तथा परिसंपत्तियों को मुक्त कराने में विफल रहने पर
- जब्ती और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पेशेवर जब्ती एजेंटों की सहायता ली जा सकती है।  
जब्त की गई संपत्ति

न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग

राजस्व वसूली:

- अग्रिमों के मामले में जो संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किए गए हैं, यदि खातों को रिकॉल नोटिस अवधि के भीतर नियमित नहीं किया जाता है, तो शाखाएँ अपने सभी खातों का विवरण समेकित करेंगी और इसे विधि विभाग को भेजेंगी जो राजस्व वसूली उपाय आरंभ करने के लिए जिला अधिकारियों को आवेदन करेगा जहाँ भी आरआर अधिनियम लागू है। राजस्व वसूली उपाय आरंभ करने की प्रक्रिया खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के 45 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए ताकि सिविल कोर्ट में जाए बिना बकाया राशि जल्द से जल्द वसूल की जा सके।
- सरकार द्वारा प्रायोजित खातों के अंतर्गत ऋण के मामले में, खाते के एनपीए में बदल जाने, बैंक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों की अनुपलब्धता/नुकसान के तथ्य को संबंधित एजेंसी के ध्यान में लाया जाना चाहिए, जिन्होंने योजना की सिफारिश/कार्यान्वित किया है, जैसे जिला उद्योग केंद्र आदि और इस मुद्दे को सुलझाने में उनकी मदद ली जानी चाहिए।

सिविल मुकदमे और डीआरटी:

- यह अनुभव किया गया है कि कभी-कभी अनुनय की प्रक्रिया या यहां तक कि SARFAESI अधिनियम के माध्यम से कार्रवाई भी कुछ मामलों में क्षतिग्रस्त खातों में वसूली/उन्नयन के वांछित परिणाम को प्राप्त करने में विफल रहती है। ऐसे मामलों में और कुछ परिस्थितियों में भी बैंक को बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी उपाय का सहारा लेना आवश्यक हो सकता है। उन सभी मामलों में जहां सिविल कोर्ट/डीआरटी में कानूनी कार्रवाई की परिकल्पना की गई है, सीमा अवधि समाप्त होने या इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि पुनर्वास और वसूली के अन्य रास्ते समाप्त हो गए हैं, वसूली प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए। यदि यह देखा जाता है कि उधारकर्ता प्रतिभूतियों का निपटान करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ अन्य कारणों से प्रतिभूतियों का मूल्य कम हो रहा है, तो SSBF के हितों की रक्षा और प्रतिभूतियों के कमजोर पड़ने को रोकने के लिए, उधारकर्ता/गारंटर के खिलाफ तुरंत मुकदमा दायर किया जाना चाहिए।

निर्णय से पहले कुर्की की अनुमति देना<sup>6</sup> जिससे बैंक डिक्री की राशि प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। • मुकदमा दायर करने के साथ-साथ, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, आदेश को लागू करने के लिए दबाव डालने का प्रयास किया जाएगा।

उधारकर्ता/गारंटर को शपथ पर अपनी सभी संपत्तियों की घोषणा करनी होगी और ऋण प्राप्त करना होगा।

<sup>5</sup> वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 <http://www.drat.tn.nic.in/Docu/Securitisation-Act.pdf>

परिसंपत्तियों/प्राप्तियों के निपटान और उपलब्ध प्रतिभूतियों की वसूली और उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटर्स के पासपोर्ट जब्त करने के खिलाफ निषेधाज्ञा/गार्निशी। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक आवेदन डीआरटी/सक्षम न्यायालयों में दायर किया जाएगा। उधारकर्ता द्वारा किसी भी स्तर पर ऋण के प्रवेश के आधार पर अंतरिम डिक्री प्राप्त करने के प्रयास भी किए जाएंगे। • निम्नलिखित मामलों में अदालतों/डीआरटी के समक्ष मुकदमा दायर किया जाना चाहिए: □ जहां दस्तावेजों पर 30 दिनों से पहले सीमा के कारण समय बीत रहा हो। □ जहां उधारकर्ता द्वारा उसी दिन गिरवी रखी गई संपत्तियों को हटाने (निर्णय से पहले कुर्की की प्रार्थना) की संभावना हो। □ जहां उधारकर्ता या ईएम का निर्माता बैंक के हितों को हराने के लिए गतिविधि में लिप्त हो।

जहां भी धोखाधड़ी की जानकारी होने के दिन ही इसकी सूचना दी जाती है। जहां भी उधारकर्ता/गारंटर बकाया राशि का भुगतान करने या बैंक द्वारा शुरू किए गए किसी अन्य वसूली उपाय के संबंध में विलंब करने की रणनीति में लगे हुए हैं, वहां 7 दिनों के भीतर बैंक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी अन्य मामले में बैंक को 7 दिनों के भीतर ऐसा करना उचित लगता है।

- हालांकि, वसूली के लिए मुकदमा दायर करने का निर्णय SARFAESI कार्यवाही सहित सभी अनुनय उपायों को समाप्त करने और उधारकर्ता/गारंटर के पास उपलब्ध प्रतिभूतियों/संपत्तियों/साधनों पर उचित विचार करने के बाद अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए। वसूली और संग्रह मैनुअल के आधार पर प्रतिनिधियों को उन्हें दी गई शक्तियों के अनुसार मुकदमा दायर करने का निर्णय लेना चाहिए। • लागू मामलों में, SARFAESI अधिनियम के तहत कार्रवाई के साथ-साथ, DRT में मामले दायर करने से उधारकर्ता पर दबाव पड़ेगा।

#### मध्यस्थता करना:

जहां कहीं भी डीआरटी/सिविल मुकदमे में मामला दायर करना संभव नहीं है, वहां एसएसएफबी राहत के लिए मध्यस्थता के तहत मामला दायर करेगा।

#### आपराधिक मुकदमा:

- जहां भी यह पाया जाता है कि उधारकर्ता ने एसएसएफबी के साथ अपने लेन-देन में धोखाधड़ी की है और गलत बयानी और/या डायवर्सन, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जाली दस्तावेजों का उपयोग, बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाने या छिपाने आदि का मामला है, वहां उधारकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करना।
- चेक बाउंसिंग के लिए सीआरपीसी की धारा 138 के तहत मामले। बैंक अपर्याप्त निधियों के कारण ईसीएस/एनएसीएच अधिदेश के अनादर के लिए पीएसएस अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज करने पर भी विचार कर सकता है।

#### एनसीएलटी:

- जहां भी संभव हो, कंपनियों के खिलाफ समापन याचिका दायर की जाएगी।  
धन की वसूली के साथ-साथ चूककर्ता उधारकर्ताओं पर दबाव डालना
- एसएसएफबी व्यक्तिगत उधारकर्ता/गारंटर या ऋणदाता के खिलाफ दिवालियापन याचिका दायर करने पर भी विचार कर सकते हैं।  
कंपनियों

संग्रह एजेंसी, वसूली एजेंट, जासूसी और जांच एजेंसियों की नियुक्ति:

एसएसएफबी बकाया राशि के संग्रह, प्रतिभूतियों के पुनर्ग्रहण तथा संग्रह एवं वसूली में सहायता के लिए अन्य गतिविधियों के लिए बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। इस संबंध में जारी किए गए विनियामक दिशा-निर्देशों<sup>4</sup> के अनुसार एजेंटों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में:

- एसएसएफबी के अनुमोदित पैनल पर सभी आउटसोर्स एजेंटों का नाम और पता जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर रखा जाएगा।

<sup>4</sup> आदेश XXXVIII, निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 देखें



- एसएसएफबी द्वारा केवल अनुमोदित पैलन के एजेंटों को ही नियुक्त किया जाएगा। • यदि बैंक किसी वसूली मामले के लिए ऐसे वसूली/प्रवर्तन/जब्त एजेंट की सेवा लेता है, तो बैंक को वसूली के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।  
एजेंट की पहचान उधारकर्ता को बता दी जाएगी
- एसएसएफबी द्वारा नियुक्त वसूली एजेंटों को ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार में आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होगा।

#### प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी/अन्य संस्थाओं को बेचना

- कुछ एनपीए खातों में, वसूली की कार्यवाही विभिन्न कारणों से गतिरोध पर पहुंच जाती है, जिसके कारण ऐसे एनपीए के समाधान में देरी हो जाती है। यह विशेष रूप से संघ/एकाधिक वित्त खातों में होता है, जहां उधारकर्ता वसूली कार्यवाही को रोकने के लिए सदस्य बैंकों के बीच आम सहमति की कमी का लाभ उठाते हैं। ऐसे मामलों में, एआरसी/एग्रीगेटर बैंक द्वारा ऋण एकत्रीकरण एनपीए के शीघ्र समाधान के लिए बेहतर तरीका हो सकता है।
- बैंकिंग उद्योग में पोर्टफोलियो-आधार/खंड-वार एनपीए को बेचना भी एक स्थापित प्रथा है, जैसे कि खुदरा ऋण अग्रिम जैसे: आवास ऋण, वाहन ऋण आदि। इन खंडों के अंतर्गत व्यक्तिगत खाते हालांकि मूल्य में छोटे होते हैं, लेकिन प्रकृति में बहुत बड़े होते हैं, जिससे एसएसएफबी को अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली के लिए बहुमूल्य समय की आवश्यकता होती है।
- हाल ही में यह भी देखा गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ अधिकांश ऋणदाताओं ने खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है, जबकि कुछ ऋणदाताओं ने उक्त खाते को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसी भी स्थिति है जहाँ अधिकांश ऋणदाताओं ने वित्तीय परिसंपत्तियों को एसएमए-2 के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बड़े ऋण पर सूचना के लिए केंद्रीय भंडार को रिपोर्ट किया जाता है<sup>9</sup> और यह उम्मीद की जाती है कि यह अल्प अवधि के भीतर एनपीए बन जाएगा। एआरसी से अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए, आरबीआई बैंकों को शुरुआती चरण में ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और दो साल की अवधि में घाटे को फैलाकर प्रोत्साहन की पेशकश की है।
- समस्याग्रस्त खातों के प्रबंधन के दृष्टिकोण में अंतर्निहित मूल रणनीति सही समय पर उचित निवारक सुधारत्मक कार्रवाई की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित करना है। सभी तनावग्रस्त खातों की बारीकी से और लगातार निगरानी की जाएगी
- एआरसी को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की बिक्री पर नीति अलग से तैयार की गई है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है। इस नीति का उद्देश्य एनपीए के साथ-साथ मानक परिसंपत्तियों की पोर्टफोलियो बिक्री में परिचालन संबंधी मुद्दों को संबोधित करना है। इस नीति के तहत बिक्री के उद्देश्य से परिसंपत्ति का चयन क्लस्टर प्रमुखों के परामर्श से सीओ में रिकवरी विभाग द्वारा किया जाएगा। सभी एनपीए खाते बिक्री के लिए पात्र होंगे।  
  
प्रबंध निदेशक और सीईओ उन परिसंपत्तियों पर निर्णय लेंगे जिन्हें एआरसी को बिक्री के लिए लाया जा सकता है। इस पर एक नोट बोर्ड के समक्ष अपसेट मूल्य की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। परिसंपत्ति मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण, डेटा शीट की तैयारी, रुचि की अभिव्यक्ति, प्रस्ताव और आरक्षित मूल्य का निर्धारण, बिक्री मूल्य की स्वीकृति और बिक्री के लिए लेखांकन पर कार्यप्रणाली और अन्य विवरण रिकवरी और संग्रह मैनुअल में विस्तार से शामिल किए गए हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01.07.2014 के आईआरएसी मानदंडों पर मास्टर परिपत्र में निर्धारित शर्त "आरक्षित मूल्य से अधिक बोली की स्वीकृति और बिक्री आय का न्यूनतम 50% नकद में होना अनिवार्य है" को बैंक ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। अलग-अलग मामलों को अनुमोदन के लिए बोर्ड को भेजा जाता है

<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ परिपत्र पर बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट [https://www.rbi.org.in/  
commonman/English/Scripts/Notification.aspx?I34](https://www.rbi.org.in/commonman/English/Scripts/Notification.aspx?I34)

<sup>7</sup>

<sup>6</sup> "वसूली एजेंटों को ऋण देने के लिए उचित आचरण संहिता (परिपत्र डीबीओडी. लेग. सं. बीसी.104/09.07.007/2002-03 दिनांक 5 मई 2003) पर मौजूदा निर्देशों का पालन करना चाहिए, साथ ही बकाया राशि के संग्रह के लिए अपने स्वयं के कोड का भी पालन करना चाहिए। यदि बैंकों के पास अपना कोड नहीं है, तो उन्हें कम से कम बकाया राशि के संग्रह और सुरक्षा के पुनर्ग्रहण के लिए भारतीय बैंक संघ के कोड को अपनाना चाहिए।" बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश देखें, RBI/2006/167 DBOD.NO.BP. 40/ 21.04.158/ 2006-07 दिनांक 3 नवंबर, 2006 <https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=3148&Mode=0>

#### अन्य उपकरण:

- किसी भी शाखा में उधारकर्ता के सभी खातों के संबंध में सामान्य ग्रहणाधिकार और सेट ऑफ के अधिकार का प्रयोग करें, कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले लेकिन संबंधित को उचित नोटिस देने के बाद
- बकाया राशि के भुगतान में तेजी लाने के लिए गारंटरी पर दबाव डाला जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए गारंटरी के साथ अलग से बैठकें आयोजित की जा सकती हैं, जहाँ उन पर कानूनी कार्रवाई के परिणाम और पुनर्भुगतान/नियमितीकरण के लिए उधारकर्ताओं पर दबाव डालने की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया जा सकता है।
- निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उधारकर्ता/निदेशकों को इरादतन चूककर्ता के रूप में आरबीआई को रिपोर्ट करना

#### मिश्रित

##### उधारकर्ताओं को नोटिस देना

जबकि लिखित संचार, टेलीफोन अनुस्मारक या एसएसएफबी के प्रतिनिधियों द्वारा उधारकर्ताओं के स्थान या निवास पर जाने को ऋण अनुवर्ती उपायों के रूप में उपयोग किया जाएगा, एसएसएफबी लिखित रूप में उचित सूचना दिए बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों के पुनः कब्जे सहित कोई भी कानूनी या अन्य वसूली उपाय शुरू नहीं करेगा। ग्राहक द्वारा व्यक्त की गई किसी भी वास्तविक कठिनाई/उठाए गए विवाद पर वसूली उपाय शुरू करने से पहले एसएसएफबी द्वारा विचार किया जाएगा। बैंक सुरक्षित परिसंपत्तियों की वसूली/पुनर्कब्जे के लिए कानून के तहत आवश्यक सभी प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

##### असहयोगी उधारकर्ताओं की रिपोर्टिंग

एक गैर-सहकारी उधारकर्ता एक ऐसा डिफॉल्टर होता है जो जानबूझकर ऋणदाताओं के अपने बकाया की वसूली के वैध प्रयासों में बाधा डालता है। RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे उधारकर्ता की जानकारी बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (CRILC) को रिपोर्ट की जानी चाहिए।<sup>10</sup>

##### काली सूची में डाले गए/नकारात्मक व्यक्तियों के लिए आंतरिक रिकॉर्ड रखना

बैंक को उन खातों की आंतरिक सूची बनानी चाहिए जो ऋण सुविधा देने के योग्य नहीं हैं। यह निम्नलिखित पर आधारित होगा:

- आरबीआई और अन्य नियामक एजेंसियों द्वारा साझा की गई सूची • पिछले डिफॉल्टर्स जहां उधारकर्ता का आचरण धोखाधड़ीपूर्ण था
- संगठन में कोई अन्य पूर्व डिफॉल्टर जिसे बैंक में संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस सूची में शामिल करने की अनुशंसा की गई हो

##### सुरक्षा प्रकार के अनुसार नीति

यह अनुभाग एनपीए खाते में उपलब्ध सुरक्षा के प्रकार के आधार पर विभिन्न वसूली उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

##### स्वयं अधिभोग संपत्ति

यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश बार उधारकर्ता बैंक को प्रतिभूति का शांतिपूर्ण कब्जा नहीं सौंपता है। ऐसी स्थिति में बैंक SARFAESI अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति का भौतिक कब्जा लेने के लिए बैंक अधिकारियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए DM/CMM को आवेदन कर सकता है।

##### किराएदार संपत्तियां / पट्टाधारक बंधक संपत्तियां

किराए पर दी गई/लीज पर दी गई संपत्तियां बैंकों के लिए बड़ी चिंता का विषय हैं क्योंकि सुरक्षा का भौतिक कब्जा लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। SSFB कानून के अनुसार नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगा।

अर्धव्यवस्था में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए आरबीआई रूपरेखा - संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) और सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) पर दिशानिर्देश  
<https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=8754&Mode=0>

एसएसएफबी के अधिकृत अधिकारी को धारा 13(4) के तहत वितरित, चिपकाकर और प्रतीकात्मक कब्जा लेना होगा।

कब्जे का नोटिस प्रकाशित करना, जो किरायेदारों के लिए भी एक नोटिस होगा

- वास्तविक किरायेदारों को किरायेदारी से संबंधित अपनी शिकायतों/दावों के निवारण के लिए SARFAESI अधिनियम की धारा 17 के तहत DRT के पास नहीं बल्कि अधिकृत अधिकारी/DM/CMM के पास जाना होगा और अपनी वैध किरायेदारी का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।

किरायेदारी/संपत्ति पर कब्जा लेने की वैधता पर निर्णय लेने के लिए सीएमएम/डीएम के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

- एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई भी पट्टा केवल पंजीकृत विलेख के माध्यम से होना चाहिए (टीपी अधिनियम की धारा 107)। हालाँकि, बशर्ते कि ऐसा पट्टा विलेख तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होना चाहिए और यदि पट्टा समाप्त हो गया है, तो मुझे निर्धारित माना जाएगा।
- मौखिक पट्टा, कब्जा देने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय के लिए वैध नहीं होता है। • धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस प्राप्त होने के बाद बनाया गया कोई भी पट्टा वैध पट्टा नहीं है। • बंधक से पहले बनाई गई किरायेदारी के संबंध में, बंधक की अवधि समाप्त होने तक कब्जा नहीं लिया जा सकता है।  
ऐसे पट्टे पर या आर.पी. अधिनियम की धारा 111 के तहत किरायेदारी का निर्धारण होने तक, अर्थात् निहित समर्पण द्वारा
- संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 65ए के तहत बनाई गई किरायेदारी के संबंध में, कब्जा नहीं दिया जा सकता  
ऐसे पट्टे की समाप्ति तक लिया जाएगा

स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी तथा ऋण/प्राप्य आदि का लेखा-जोखा।

यह ध्यान देने योग्य है कि जहां उधारकर्ता की चल संपत्तियों पर बंधक प्रभार के माध्यम से सुरक्षा रखी जाती है, वहां SSFB को सुरक्षा हित को लागू करना चाहिए क्योंकि हम सुरक्षित लेनदार हैं और हमें सुरक्षा पर कब्जा करने के लिए SARFAESI अधिनियम की धारा 14 का उपयोग करते हुए DM/CMM को आवेदन दायर करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को अपने हितों की रक्षा के लिए नीचे उल्लिखित सावधानियाँ/कदम उठाने चाहिए:

- धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी होने से पहले बैंक के पास बंधक रखी गई प्रतिभूतियों का गहन निरीक्षण किया जाना चाहिए और व्यापक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, जिसमें निरीक्षण के समय उपलब्ध प्रतिभूतियों का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक अधिकारी और उधारकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दोनों को निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना चाहिए। • पार्टियों के नाम और पते के साथ सभी बही ऋण का विवरण भी होना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान प्राप्त

- यदि ऐसी आशंका है कि उधारकर्ता बैंक को परिसंपत्ति के प्रभार का निपटान कर सकता है, तो आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था (यदि आवश्यक हो) सुनिश्चित की जानी चाहिए कि बैंक को प्रतिभूति प्रभार का निपटान नहीं किया जाए, सिवाय व्यवसाय के सामान्य क्रम में।
- उधारकर्ता को देय बंधक प्राप्तियों की वसूली के संबंध में, सभी सुरक्षित देनदारों को SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4)(d) के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि वे उधारकर्ता की बकाया राशि सीधे बैंक को चुका सकें। उधारकर्ता के देनदारों से प्राप्त राशि को उधारकर्ता के NPA खाते में जमा किया जाना चाहिए और ऐसे सुरक्षित देनदारों से वसूली से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए।

नर्सिंग होम, अस्पताल, स्कूल आदि।

यह आम तौर पर देखा गया है कि बैंक के अधिकारी बैंक के पास गिरवी रखे गए नर्सिंग होम/अस्पताल/स्कूलों की सुरक्षित संपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने में हिचकिचाते हैं। नर्सिंग होम/अस्पताल/स्कूलों में भर्ती मरीजों/छात्रों को हटाना/स्थानांतरित करना "कठिन" माना जाता है। यह काम संवेदनशील होने के कारण संपत्ति के भौतिक कब्जे को आम तौर पर ज़्यादातर मामलों में अनदेखा कर दिया जाता है। इस संबंध में, यह

अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट VI देखें

यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिए बैंक बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने/बेचने में आने वाली बाधाओं से बचने के लिए निम्नलिखित प्रणाली को अपना सकता है। यह सलाह दी जाती है कि बैंक सुरक्षित संपत्ति को "जैसा है, जहाँ है, जो भी है और बिना किसी सहारे के" प्रतीकात्मक कब्जे के आधार पर बेचे। इस संबंध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय (मेसर्स ट्रांसकोर बनाम भारत संघ के मामले में) के फैसले के अनुसार SARFAESI अधिनियम के तहत प्रतीकात्मक और वास्तविक कब्जे के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। उक्त फैसले के मद्देनजर बैंक को निर्धारित तरीकों में से किसी एक के माध्यम से प्रतीकात्मक कब्जे पर अचल संपत्ति बेचने की अनुमति है।

यह सलाह दी जाती है कि बैंक सुरक्षित परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए:

- उधारकर्ता को समझाना: यह भी सलाह दी जाती है कि बैंक/कोर्ट रिसीवर को उधारकर्ता को शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा सौंपने के लिए मनाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह संभव है कि मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए और रोगियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए वह परिसर का वास्तविक कब्जा शांतिपूर्ण तरीके से सौंपने के लिए सहमत हो जाए। यदि उधारकर्ता सहयोग नहीं करता है, तो बैंक/कोर्ट रिसीवर को नीचे सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक कब्जा लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए:
- वास्तविक कब्जा लेने की प्रक्रिया: भौतिक कब्जा लेने में संवेदनशीलता को ध्यान में रखना  
बैंक वास्तविक कब्जा लेने से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकता है:
- बैंक को वास्तविक कब्जा लेने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के साथ-साथ पुलिस सहायता के लिए एसएआरएफईएसआई की धारा 14 के तहत डीएम/सीएमएम को आवेदन करना चाहिए। • माननीय डीएम/सीएमएम द्वारा नियुक्त न्यायालय रिसीवर को उधारकर्ता को नोटिस देना चाहिए और भवन के प्रमुख स्थान पर एक नोटिस चिपकाना/प्रदर्शित करना चाहिए कि परिसर का कब्जा अमुक तारीख और समय पर लिया जाएगा।

आम जनता को सूचना: बैंक को दो समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना देकर स्थानीय समाचार पत्र में व्यापक प्रचार करना चाहिए - जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होना चाहिए, बैंक केबल ऑपरेटर द्वारा चलाए जा रहे स्थानीय समाचार चैनल में भी विज्ञापन दे सकता है, जिससे जनता को संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के बैंक के इरादे के बारे में सूचित किया जा सके और रोगियों और रिश्तेदारों को एक विशिष्ट तिथि से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए चेतावनी/अनुरोध किया जा सके।

सावधानी: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुरक्षित ऋणदाता को टेलीकोबाल्ट इकाई और किसी भी अन्य ऐसे उपकरण, जो संवेदनशील प्रकृति के हैं, को अपने कब्जे में लेने/हटाने से पहले परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के संबंधित अधिकारी के साथ समन्वय करके व्यवस्था करनी चाहिए।

परित्यक्त चल/अचल संपत्ति का कब्जा:

ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें उधारकर्ता बिना किसी सूचना के संपत्ति को लावारिस छोड़ कर भाग जाता है।

ऐसी संपत्तियों को ठीक से लॉक भी नहीं किया जाता है और वे लंबे समय तक खाली रहती हैं। बैंक ऐसी संपत्तियों को परित्यक्त संपत्ति मान सकता है और प्रतिकूल शिकायतों से बचने के लिए वास्तविक कब्जे से पहले और बाद में संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचित करके ऐसी बंधक/आरोपित संपत्ति का वास्तविक कब्जा ले सकता है (यदि आवश्यक हो तो अधिकृत कार्यालय लिखित संचार की प्रति एसपी के संबंधित कार्यालय को सौंप सकता है)। कब्जे की तारीख से सात दिनों के भीतर दो स्थानीय समाचार पत्रों में कब्जे का नोटिस प्रकाशित किया जाना चाहिए।

अविभाजित अचल संपत्तियां

यह अनुभव किया गया है कि कुछ मामलों में बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति अन्य संपत्तियों के साथ मिल जाती है और सीमांकन की आवश्यकता होती है। प्राधिकृत अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्लॉट/मकान/मंजिल आदि के विशिष्ट हिस्से का प्रतीकात्मक/वास्तविक कब्जा लेने से पहले सीमांकन उपलब्ध हो और विशेष मामलों में विशिष्ट संपत्ति पहचान योग्य न हो तो प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन दायर करना चाहिए।

संबंधित राजस्व/नगरपालिका प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण को सूचित करें तथा बैंक के अभिलेखों के अनुसार अर्थात् संबंधित शीर्षक विलेख में उल्लिखित अनुसार संपत्ति का सीमांकन करवाएं।

- खाली प्लॉट/फार्महाउस आदि के सीमांकन के मामले में यह सुझाव दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी को गांव के पटवारी से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड यानी खतौनी और अक्स सिजरा (साइट प्लान), जमाबंदी आदि की प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए और संबंधित राजस्व प्राधिकारी यानी उप-मंडल को प्रस्तुत करना चाहिए।
- बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्ति की सीमाओं के सीमांकन के लिए मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।  
गिरवी रखी गई संपत्ति का मौके पर ही गांव के पटवारी से भौतिक रूप से सीमांकन करवाया जाना चाहिए तथा सीमाओं पर बाड़ लगाकर या पत्थर के खंभे लगाकर सीमाओं को चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक का ग्रहणाधिकार ऊपर बताए अनुसार राजस्व अधिकारियों के पास दर्ज हो।
- नगरपालिका क्षेत्र में स्थित एक से अधिक आवासीय इकाइयों के मामले में, यह सुझाव दिया जाता है कि गिरवी रखी गई संपत्ति के विशिष्ट हिस्से की पहचान के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकरण यानी नगर परिषद / निगम / राज्य विकास प्राधिकरण / पंचायत / ग्राम पटवारी / राजस्व / अन्य विकास प्राधिकरणों की आवश्यक मदद ली जाए और यदि आवश्यक हो, तो मौके पर विभाजन करवाया जाए।

सरकारी विभागों द्वारा सील की गई संपत्तियां:

- यह देखा गया है कि कुछ मामलों में यह पाया गया है कि गिरवी रखी गई संपत्ति को पहले ही कुछ सरकारी विभागों जैसे नगर निगम / आयकर / बिक्री कर या किसी अन्य विभाग द्वारा उनके लंबित बकाए आदि के लिए सील कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधिकृत अधिकारी को संबंधित विभाग द्वारा प्रदर्शित नोटिस की तस्वीरें लेनी चाहिए।
- प्राधिकृत अधिकारी को संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समस्त जानकारी एकत्रित करनी होगी।  
विभाग
- सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी को अपने हितों की रक्षा के लिए, प्रचलित कानूनों के अनुसार, संबंधित विभाग की मुहरों को हटाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, भले ही इसके लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करना आवश्यक हो। • महत्वपूर्ण: यह ध्यान देने योग्य है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 26ई के प्रावधानों के तहत, सुरक्षित विभाग की मुहरों को हटाने के लिए, संबंधित ... यदि आवश्यक हो तो, संबंधित विभाग की मुहरों को हटाने के लिए, संबंधित विभाग की मुहरों को हटाने के लिए, संबंधित अधिकारी को आगे बढ़ना चाहिए।  
ऋणदाता को राज्य/केन्द्र सरकार के अन्य सभी बकायों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

कृषि गुण

- SARFAESI अधिनियम की धारा 31(i) के प्रावधान विशेष रूप से सुरक्षित लेनदारों को SARFAESI अधिनियम के तहत कृषि संपत्तियों पर कार्रवाई करने से रोकते हैं। • इसलिए बैंक को कृषि सुरक्षा पर कब्जा लेने के लिए सक्षम न्यायालय में उधारकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करना होगा।

सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री

सुरक्षित परिसंपत्ति का पुनः कब्जा और बिक्री की शुरुआत

सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करने का उद्देश्य बकाया राशि की वसूली करना है, न कि उधारकर्ता को सुरक्षित संपत्तियों से वंचित करना। सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करके वसूली की प्रक्रिया में सुरक्षित संपत्तियों का पुनः कब्जा, उनका मूल्यांकन और उचित माध्यमों से सुरक्षित संपत्तियों की वसूली शामिल होगी। ये सभी काम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे। ऊपर बताए गए नोटिस जारी करने के बाद ही पुनः कब्जा किया जाएगा। सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करते समय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। SSFB व्यवसाय के सामान्य क्रम में, हिरासत में लेने के बाद सुरक्षित संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित देखभाल करेगा और संबंधित लागत उधारकर्ता से वसूल की जाएगी।

एसएसएफबी द्वारा पुनः प्राप्त सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और बिक्री कानून के अनुसार तथा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। एसएसएफबी की बिक्री के बाद उधारकर्ता से बकाया राशि वसूलने का अधिकार होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियाँ। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्त अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, तो उसे संबंधित सभी खर्चों को पूरा करने के बाद, उसके अधिकारों और हितों के अनुसार, उस व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि SSFB के पास ग्राहक के खिलाफ कोई अन्य दावा न हो। ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करते समय बैंक के सामान्य ग्रहणाधिकार के अधिकार और उसके निहितार्थ उधारकर्ता को स्पष्ट कर दिए जाएँगे। प्रतिभूतियों के मूल्यांकन से संबंधित विवरण के लिए कृपया बैंक की ऋण नीति देखें।

गिरवी रखी गई संपत्तियों के मामले में, यदि कब्जा लेने के बाद भी कोई भुगतान नहीं मिलता है, तो उधारकर्ता को जवाब देने के लिए 30 दिनों का बिक्री नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद, SSFB गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री के लिए SSFB द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से व्यवस्था करेगा। SARFAESI अधिनियम के तहत मामलों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बिक्री की 30 दिन की सूचना भेजी जाएगी। जब सार्वजनिक नीलामी या निविदा की परिकल्पना की जाती है, तो इसे दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिनमें से एक स्थानीय स्थानीय भाषा का अखबार होगा।

उधारकर्ता को सुरक्षित परिसंपत्तियां वापस लेने का अवसर

एसएसएफबी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा केवल अंतिम उपाय के रूप में अपने बकाये की वसूली के उद्देश्य से करेगा, न कि उधारकर्ता को सुरक्षित परिसंपत्तियों से वंचित करने के इरादे से। तदनुसार, एसएसएफबी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के बाद और सुरक्षित परिसंपत्तियों के बिक्री लेनदेन को पूरा करने से पहले उधारकर्ता को कब्जा सौंपने पर विचार करने के लिए तैयार होगा, बशर्ते एसएसएफबी का बकाया पूरा चुका दिया गया हो। यदि उधारकर्ता द्वारा निर्धारित समय पर ऋण की किस्तों का भुगतान करने में असमर्थता की वास्तविकता से संतुष्ट है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा हो गया है, तो एसएसएफबी बकाया किस्तों को प्राप्त करने के बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों को सौंपने पर विचार कर सकता है। हालांकि, यह उधारकर्ता द्वारा भविष्य में शेष किस्तों/बकाये को चुकाने और एसएसएफबी की संतुष्टि के अनुसार ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार खाते को बंद करने तक ऋण खाते को निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में बनाए रखने के लिए एक वचनबद्धता देने के अधीन होगा।

यदि एसएसएफबी द्वारा निर्धारित राशि का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है या सहमति के अनुसार बकाया राशि का निपटान कर दिया जाता है, तो जब परिसंपत्तियों का कब्जा एसएसएफबी के सक्षम प्राधिकारी या संबंधित न्यायालय/डीआरटी से अनुमति की तारीख के बाद 7 कार्य दिवसों के भीतर उधारकर्ता को वापस सौंप दिया जाएगा, यदि वसूली कार्यवाही ऐसे मंचों के समक्ष दायर और लंबित है।

- विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की बिक्री

- गिरवी रखे गए स्टॉक, सोना आदि की बिक्री। □ एनपीए के

रूप में वर्गीकृत क्रेडिट सुविधाओं के लिए गिरवी रखे गए स्टॉक, सोना आदि जैसी प्रतिभूतियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार बेचा गया

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को केवल सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से ही बेचा जाए। □ प्रतिभूतियों की बिक्री के बारे में उधारकर्ता को समय-समय पर लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।

- SARFAESI अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति की बिक्री।

- कब्जा लेने के बाद, यदि आवश्यक समझा जाए तो प्राधिकृत अधिकारी अनुमानित मूल्य प्राप्त करेगा और पावर मैट्रिक्स के प्रतिनिधिमंडल में उल्लिखित मंजूरी प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बेची जाने वाली परिसंपत्तियों का आरक्षित मूल्य तय करेगा। □ परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा करवाया जाना चाहिए।

मूल्यांकनकर्ता को इस प्रकार की परिसंपत्तियों से निपटने के लिए संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 34AB के तहत

पंजीकृत होना चाहिए और बैंक के बीओडी द्वारा विधिवत अनुमोदित होना चाहिए।

- चल/अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री निम्नलिखित चार तरीकों में से किसी से भी प्रभावित हो सकती है,

अर्थात्, क) समान सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित व्यक्तियों से कोटेशन प्राप्त करके या अन्यथा

ऐसी परिसंपत्तियों को खरीदने में रुचि रखने वाले व्यक्ति (बी)

जनता से निविदाएं आमंत्रित करके (सी) सार्वजनिक नीलामी (नियम 6

(1) और नियम 8 (2 ए) के अनुसार ई-नीलामी मोड सहित) आयोजित करके

d) क्रमशः चल या अचल संपत्ति e) निजी संधि द्वारा

• निजी संधि के माध्यम से और कोटेशन प्राप्त करके बिक्री:

- एसएसएफबी द्वारा निजी संधि या कोटेशन के तहत की गई बिक्री ऐसी शर्तों पर होगी, जो सुरक्षित लेनदारों और प्रस्तावित क्रेता के बीच लिखित रूप में तय की जा सकती हैं। (नियम 6 और 8)
- सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री करने से पहले उधारकर्ता को तीस दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। □ यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि 6.4.2 के तहत निर्दिष्ट किसी भी एक विधि द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री विफल हो जाती है और यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों को फिर से बेचा जाना आवश्यक है, तो अधिकृत अधिकारी उधारकर्ता को किसी भी बाद की बिक्री के लिए 15 दिनों का नोटिस देगा। □ यह ध्यान रखना उचित है कि ऐसी सुरक्षित परिसंपत्तियों की पहली बिक्री की विफलता के बाद, केवल 15 दिनों का नोटिस दिया जा सकता है।  
किसी भी बाद की बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है
- प्रत्येक बिक्री पर क्रेता को बिक्री राशि का 25% (बयाना राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में उसके पक्ष में बिक्री की सूचना मिलने पर देना होगा और भुगतान न करने पर प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति को तुरंत पुनः बेच देगा।
- क्रेता द्वारा बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले प्राधिकृत अधिकारी को शेष राशि का भुगतान किया जाना चाहिए या बैंक और क्रेता के बीच सहमत विस्तारित अवधि के भीतर, किसी भी मामले में तीन महीने (बिक्री की पुष्टि की तारीख से) से अधिक नहीं होना चाहिए। □ ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फिर से बेचा जाएगा और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर अपने सभी अधिकारों और दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा गया है।

• सार्वजनिक निविदा आमंत्रित करके या ई-नीलामी सहित सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री

- यदि बिक्री निविदाओं/सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी के माध्यम से की जानी है, तो प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से पहले उधारकर्ता को तीस दिन का नोटिस देगा, चिपकाएगा और प्रकाशित करेगा (दो प्रमुख समाचार पत्रों में, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होना चाहिए जिसका स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक प्रसार हो)।
- बिक्री नोटिस में पूर्ण विवरण निम्नानुसार होना चाहिए:  
क) उधारकर्ता का विवरण ख)  
सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, मात्रा, पहचान, लॉट संख्या आदि ग) आरक्षित मूल्य, भुगतान का समय और तरीका घ) जमा की जाने वाली बयाना राशि ड) सार्वजनिक नीलामी का समय और स्थान च) कोई अन्य मुद्दा जिसे प्रासंगिक माना जाता है
- प्रत्येक बिक्री पर क्रेता को बिक्री राशि का 25% (बयाना राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में उसके पक्ष में बिक्री की सूचना मिलने पर देना होगा और भुगतान न करने पर प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति को तुरंत पुनः बेच देगा।
- क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या बैंक और क्रेता के बीच सहमत विस्तारित अवधि के भीतर भुगतान की जाएगी, जो किसी भी मामले में तीन महीने (बिक्री की पुष्टि की तारीख से) से अधिक नहीं होगी। □ यह ध्यान रखना उचित है कि ऐसी सुरक्षित परिसंपत्तियों की पहली बिक्री की विफलता के बाद, केवल 15 दिनों की सूचना पर ही भुगतान किया जा सकता है।  
किसी भी बाद की बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है

• मूर्त/नाशवान चल संपत्ति की बिक्री

- यदि संपत्ति ऐसी प्रकृति की है जो शीघ्र या प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाली है या उसे सुरक्षित रखने की लागत माल के मूल्य से अधिक होने की संभावना है, तो प्राधिकृत अधिकारी उसे कब्जा लेने और औपचारिकताएं पूरी करने के तुरंत बाद बेच देगा।

मूल्यांकन का निर्णय उसके विवेक पर होगा क्योंकि मूल्यांकन में देरी से बैंक को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों के उदाहरण हैं रसायन, दवाइयाँ, मसाले, किराने का सामान, आदि। प्राधिकृत अधिकारी को बिक्री पूरी होने के बाद बिक्री प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है और यदि एक से अधिक खरीदार हैं, तो उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग बिक्री प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी ऐसे मामलों में तुरंत पूर्ण खरीद मूल्य वसूल करेगा। [SARFAESI अधिनियम के नियम 4(3) के प्रावधान]

□ सावधानी - भारतीय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत वैध और उचित लाइसेंस न रखने वाला व्यक्ति कुछ रसायन और दवाइयाँ नहीं बेच सकता। कुछ दवाइयाँ और औषधियाँ केवल डॉक्टर के पर्चे के आधार पर बेची जानी चाहिए, जिसके बारे में प्राधिकृत अधिकारी को पता नहीं हो सकता है और फिर भी कुछ दवाइयाँ और औषधियों की समाप्ति तिथि कम हो सकती है, जिसके बारे में प्राधिकृत अधिकारी को पता नहीं हो सकता है और उसे आसानी से पता भी नहीं चल सकता है; इसलिए, उन्हें अपने कब्जे में लेना जोखिम भरा है। चूंकि प्राधिकृत अधिकारी के पास दवाओं आदि की बिक्री के लिए अपने नाम पर लाइसेंस नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे सामान को अपने कब्जे में न लेना उचित है।

□ मसाले, अनाज, पैकेज्ड फूड जैसी किराना वस्तुओं की शेल्फ लाइफ भी सीमित होती है, जो प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है और प्राधिकृत अधिकारी को प्रत्येक वस्तु के संबंध में समाप्ति तिथि का पता नहीं हो सकता है। अन्यथा भी चूहे और कीड़े संग्रहीत वस्तुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिन्हें शीघ्र बेचना आवश्यक है, क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं हैं। [SARFAESI अधिनियम के प्रावधान नियम 4(3)] □ अधिकारी को बिक्री की प्रक्रिया शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले उधारकर्ता को नोटिस देना होगा (नाशवान वस्तुओं के अलावा)

□ बिक्री चल एवं अचल संपत्ति के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी

#### • डीआरटी में कुर्की के माध्यम से बिक्री

□ कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूति से बैंक को अपनी वसूली के लिए आवश्यक राशि नहीं मिल पाती है। या खाता असुरक्षित है, और बैंक के पास कोई प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है। SSBF उधारकर्ता की अन्य पहचान की गई परिसंपत्तियों की कुर्की के लिए DRT या सक्षम न्यायालय से संपर्क करेगा।

□ डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के पास प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वे प्रतिवादियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी पारित कर सकते हैं।

#### • चल संपत्ति की बिक्री

□ पंजीकृत संस्था इच्छित बिक्री के जिले की भाषा में एक उद्घोषणा जारी करेगी, जिसमें बिक्री का समय और स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा।

□ उद्घोषणा ढोल बजाकर या अन्य प्रचलित तरीके से की जाएगी। □ बिक्री उद्घोषणा की तारीख के कम से कम 15 दिन बाद होगी।

□ संपत्ति एक या एक से अधिक लॉट में नीलामी/सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी और यदि राशि 1,000

रुपये से कम है तो बिक्री की तारीख से कम से कम 15 दिन बाद होगी।

यदि यह बात पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है तो शेष लॉटों की बिक्री रोक दी जाएगी।

□ बिक्री के प्रकाशन या संचालन में किसी भी अनियमितता के कारण बिक्री प्रभावित नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी अनियमितता के कारण यदि किसी व्यक्ति को गंभीर क्षति पहुंचती है तो वह सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकता है।

#### • अचल संपत्ति की बिक्री

□ कुर्की - कुर्की एक आदेश द्वारा की जाएगी जिसमें चूककर्ता को किसी भी प्रकार की संपत्ति को कुर्क करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

उस पर प्रभार स्थानांतरित करना या बनाना

□ कुर्की की सूचना की तारीख: कुर्की के आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तामील की जानी है।

दोषी

□ कुर्की की घोषणा: यह घोषणा ढोल बजाकर या अन्य प्रचलित तरीके से की जाएगी। आदेश की एक प्रति आरओ की संपत्ति और नोटिस बोर्ड के एक प्रमुख भाग पर चिपकाई जानी चाहिए। बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी होने की तारीख से यह प्रभावी होगा।

□ अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:



क) आरओ इच्छित जिले की भाषा में बिक्री की घोषणा जारी करेगा।

बिक्री, बिक्री का समय और स्थान निर्दिष्ट करना b)

उद्घोषणा ढोल बजाकर या अन्य पारंपरिक तरीके से की जाएगी c) बिक्री उद्घोषणा की तिथि के कम से कम 30 दिन बाद होगी d) संपत्ति सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जाएगी। क्रेता को खरीद मूल्य का 25 प्रतिशत तुरंत भुगतान करना होगा और बिक्री की तिथि से 15 दिन पहले या उससे पहले पूरा भुगतान करना होगा।

ई) भुगतान में चूक की स्थिति में, आरओ जमा राशि जब्त कर सकता है और संपत्ति को पुनः बेचा जा सकता है।

इसके बाद इच्छुक क्रेता संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देता है।

प्रतिभूतियों का पुनः असाइनमेंट

एनपीए खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक उधारकर्ताओं से संपर्क करने से लेकर कुछ मामलों में एसएआरएफएईएसआई या डीआरटी के तहत बिक्री के माध्यम से सुरक्षा परिसंपत्तियों की वसूली तक के उपाय करता है। प्रक्रिया के दौरान, हम ऐसी स्थितियों में आए हैं जहाँ बिक्री सफल नहीं हुई, भले ही निर्धारित आरक्षित मूल्य काफी यथार्थवादी थे। कुछ अवसरों पर नई बोलियों को आकर्षित करने के लिए पिछली बिक्री की तुलना में आरक्षित मूल्य कम कर दिए गए और फिर भी, विभिन्न कारणों से कोई बोलीदाता नहीं आया।

ऐसी स्थितियों में, बैंक अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने नाम पर सुरक्षित परिसंपत्ति में भाग लेने और बोली लगाने का सहारा लेता है। इस प्रकार, सुरक्षित परिसंपत्ति बैंक के नाम पर आ जाती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब उधारकर्ता भविष्य की किसी तिथि पर अपने नाम पर संपार्श्विक प्रतिभूति को पुनः सौंपने के अनुरोध के साथ आगे आ सकता है (यदि वह परिसंपत्ति का मूल स्वामी था)। उस स्थिति में, बैंक नीचे बताई गई कार्यवाही/प्रक्रिया का पालन करेगा:

- यह बैंक के अंतिम विवेक पर छोड़ दिया जाएगा कि वह उधारकर्ता के प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं।  
(मूल स्वामी) और परिसंपत्ति को उसके नाम पर पुनः सौंप दें
- यदि बैंक परिसंपत्ति को पुनः सौंपने का निर्णय लेता है, तो उधारकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि (मूल राशि) परिसंपत्ति का स्वामी), निम्न में से जो अधिक होगा: क) पुनःअसाइनमेंट के समय परिसंपत्ति का बाजार मूल्य या ख) पुनःअसाइनमेंट के समय उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय बकाया
- पंजीकरण शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

## मिश्रित

कुछ मामलों में नरम रुख अपनाना

वसूली किसी भी ऐसे तरीके से की जाएगी जिसे उचित, उचित और कानूनी माना जाए। प्राथमिक प्रयास क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों को निष्पादित परिसंपत्तियों में परिवर्तित करना या कानूनी कार्यवाही का सहारा लिए बिना, जहाँ तक संभव हो, अनुनय-विनय करके खाता बंद करवाना होगा।

ऐसे मामलों में जहां बकाया राशि का भुगतान न किया जाना उधारकर्ताओं के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हो और यदि बैंक को विश्वास हो कि इकाई/व्यवसाय को पुनः पटरी पर लाया जा सकता है, तो एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, ताकि पुनर्भुगतान/पुनर्वास के पुनर्निर्धारण/पुनःचरणबद्ध करने के उपचारात्मक उपायों पर, आगे के वित्तपोषण के साथ या उसके बिना, गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सके।

उधारकर्ता/सह-दायित्वधारक/गारंटर के नाम पर मौजूद प्रतिभूतियों के लिए बीमा कवर

बैंक को सुरक्षा के रूप में दी गई सभी संपत्तियों को हर समय बीमा द्वारा पूरी तरह से कवर किया जाना चाहिए, यहां तक कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर करने के बाद भी। हालांकि, सीएमयू/आरयू को पॉलिसियों को नवीनीकृत करने से पहले प्रतिभूतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

परिसीमन

- सीमा को हर समय सक्रिय रखा जाना चाहिए। सुरक्षा दस्तावेज़ की नियत तिथि रजिस्टर को बनाए रखना चाहिए।

- उचित तरीके से बनाए रखा गया है और सभी पुनरुद्धार दस्तावेज जैसे शेष राशि की पुष्टि, ऋण की पावती प्रचलित प्रणाली के अनुसार नियमित अंतराल पर उधारकर्ताओं/सह-दायित्वकर्ताओं/गारंटर्स से ऋण की देयता और स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। यदि कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो मामले को सीमा अवधि की समाप्ति से छह महीने पहले सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब भी ऋणदाताओं द्वारा खातों में धन भेजा जाता है, तो उन्हें उसी शैली और तरीके से पे-इन-स्लिप पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाना चाहिए जिस तरह से उन्होंने ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, किसी भी मामले में दस्तावेजों/पुनरुद्धार दस्तावेजों के आधार पर सीमा को समाप्त नहीं होने दिया जाना चाहिए
- सुरक्षा दस्तावेज के पुनरुद्धार की प्रक्रिया समाप्ति की नियत तिथि से 12 महीने पहले शुरू होगी और समाप्ति के 9 महीने पहले पूरी हो जाएगी। जिन खातों का पुनरुद्धार 6 महीने से पहले नहीं हुआ है, उनकी सूची शाखाओं द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय, कानूनी विभाग को रिपोर्ट की जाएगी।

#### कर्मचारियों की चूक पर अध्ययन

कोई खाता कई कारणों से गैर-निष्पादित हो सकता है जो उधारकर्ता के नियंत्रण में या उससे परे हो सकते हैं। हालांकि, एनपीए बनने वाले खाते में कर्मचारियों की जवाबदेही के पहलू की, यदि कोई हो, तो सभी खातों के संबंध में जांच की जानी चाहिए। खातों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए:

- त्वरित मृत्यु दर खाते (अर्थात् मंजूरी के छह महीने के भीतर एनपीए बन जाने वाले खाते) • अन्य खाते जिनकी हर तिमाही के अंत में आवश्यकता हो सकती है

अध्ययन तिमाही से एक महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। समीक्षा प्राधिकारी नीचे दिखाया गया है:

जांच अधिकारी	रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है
<p>एक समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: • प्रमुख-क्रेडिट निगरानी • प्रमुख - वसूली • प्रमुख - आंतरिक लेखा परीक्षा</p> <p>• शीर्ष - क्रेडिट</p> <p>शाखा से खाते का विवरण (स्वीकृति की शर्तें, अनुपालन, दस्तावेजीकरण, स्वीकृति के बाद अनुवर्ती कार्रवाई आदि) संग्रह में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राप्त किया जाना चाहिए।</p> <p>और रिकवरी मैनुअल</p>	<p>बैंक की कार्यकारी समिति निर्धारित प्रारूप में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो समिति का निर्णय आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विभाग को भेजा जाएगा।</p>

#### एनपीए उधारकर्ताओं को नए ऋण प्रदान करना

एनपीए उधारकर्ताओं के लिए नई ऋण सीमा के प्रस्ताव जिनके खाते ओटीएस के तहत निपटाए गए थे/किसी भी कारण से अप्रत्यक्ष देयता (व्यक्तिगत/मालिक या फर्म/कंपनी के भागीदार/निदेशक या गारंटर के रूप में) के रूप में बकाया थे, पर मुख्यालय में ऋण विभाग द्वारा योग्यता के आधार पर सख्ती से विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, उधारकर्ता जानबूझकर चूककर्ता नहीं होने चाहिए या उन्हें आरबीआई डिफॉल्टर की सूची/सिबिल में नहीं रहना चाहिए।